# भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | अनुसूची संख्या | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएँ** | | | |
| पूंजी | 1 | 892,46,12 | 892,46,12 |
| आरक्षित निधियाँ व अधिशेष | 2 | 279195,59,89 | 252982,72,85 |
| जमा राशियाँ | 3 | 4051534,12,27 | 3681277,07,96 |
| उधार राशियाँ | 4 | 426043,37,98 | 417297,69,88 |
| अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण | 5 | 229931,84,28 | 181979,66,31 |
| **योग** | | **4987597,40,54** | **4534429,63,12** |
| **आस्तियाँ** | | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ | 6 | 257859,20,71 | 213201,53,63 |
| बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि | 7 | 136693,11,40 | 129837,17,31 |
| निवेश | 8 | 1481445,46,98 | 1351705,20,51 |
| अग्रिम | 9 | 2733966,59,29 | 2449497,79,11 |
| अचल आस्तियाँ | 10 | 37708,15,83 | 38419,24,19 |
| अन्य आस्तियाँ | 11 | 339924,86,33 | 351768,68,37 |
| **योग** | | **4987597,40,54** | **4534429,63,12** |
| आकस्मिक देयताएँ | 12 | 2007083,44,06 | 1706949,91,17 |
| वसूली के लिए बिल | - | 77730,12,34 | 56516,11,88 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 17 | | |
| लेखा टिप्पणियाँ | 18 | | |

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

**श्री अश्विनी कुमार तिवारी**
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)

**श्री स्वामीनाथन जे.**
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं सार्ग)

**श्री अश्वनी भाटिया**
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स)

**श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी**
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

**निदेशक:**

श्री बी वेणुगोपाल
डॉ गणेश नटराजन
श्री मृगांक एम परांजपे
श्री केतन एस विकमसी
श्री संजीव माहेश्वरी
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

**श्री दिनेश कुमार खारा**
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022

In terms of our report of even date

**कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**शैलेश शाह**
**भागीदार स.क्र.** 033632
**फर्म पं. क्र.** 105049W
UDIN:22033632AIXHQQ3021

**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**हेनील के पटेल**
**भागीदार स.क्र.** 114103
**फर्म पं. क्र.** 109574W
UDIN:22114103AIXKLG7230

**कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एल श्यामा प्रसाद**
**भागीदार स.क्र.** 028224
**फर्म पं. क्र.** 004453S
UDIN:22028224AIXHMB9621

**कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**अनुज ढींगरा**
**भागीदार स.क्र.** 512535
**फर्म पं. क्र.** 000235N/N500089
UDIN:22512535AIXKXX2970

**कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**प्रवीण कुमार**
**भागीदार स.क्र.** 088810
**फर्म पं. क्र.** 009571N/N500006
UDIN:22088810AIXJER5275

**कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**प्रेम बिहारी गुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 080245
**फर्म पं. क्र.** 000425N
UDIN:22080245AIXKLC5297

**कृते गुहा नंदी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**डॉ बी एस कुंडु**
**भागीदार स.क्र.** 051221
**फर्म पं. क्र.** 302039E
UDIN:22051221AIXPYM6914

**कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एम आर जैन**
**भागीदार स.क्र.** 050919
**फर्म पं. क्र.** 303002E
UDIN:22050919AIXHIH2828

**कृते के सी मेहता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**चिराग बक्शी**
**भागीदार स.क्र.** 047164
**फर्म पं. क्र.** 106237W
UDIN:22047164AIXKOQ4739

**कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

**अनिरुद्ध सेनगुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 051371
**फर्म पं. क्र.** 311017E
UDIN:22051371AIXHWT8422

**कृते सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**वी नटराजन**
**भागीदार स.क्र.** 223118
**फर्म पं. क्र.** 004283S
UDIN:22223118AIXKPX8986

**कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**आनंद शर्मा**
**भागीदार स. क्र.** 129033
**फर्म पं. क्र.** 110758W/W100377
UDIN:22129033AIXMPT2135

Place - Mumbai
Date - May 13, 2022

# अनुसूची

## अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत पूंजी :** | | |
| 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर<br>(पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर) | 5000,00,00 | 5000,00,00 |
| **निर्गमित पूंजी :** | | |
| 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹ 1 प्रति शेयर<br>(पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹ 1 प्रति शेयर) | 892,54,05 | 892,54,05 |
| **अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी :** | | |
| 892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर<br>(पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर) | 892,46,12 | 892,46,12 |
| [उपर्युक्त में 10,36,05,740 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर शामिल है (पिछले वर्ष 10,97,28,170 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर ) इन्हें 10,36,05,74<br>(पिछला वर्ष 10,97,28,17) वैश्विक रसीद के रूप में दर्शाया गया है] | | |
| **योग** | **892,46,12** | **892,46,12** |

## अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **सांविधिक आरक्षित निधियाँ** | | | | |
| | अथ शेष | 76065,22,66 | | 69942,08,58 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | 9502,79,42 | | 6123,14,08 | |
| | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | | - | |
| | | | **85568,02,08** | | **76065,22,66** |
| **II.** | **पूंजी आरक्षित निधियाँ** | | | | |
| | अथ शेष | 15221,82,99 | | 13756,70,57 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | 538,15,24 | | 1465,12,42 | |
| | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | | - | |
| | | | **15759,98,23** | | **15221,82,99** |
| **III.** | **शेयर प्रीमियम** | | | | |
| | अथ शेष | 79115,47,05 | | 79115,47,05 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | - | | - | |
| | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | | - | |
| | | | **79115,47,05** | | **79115,47,05** |

(000को छोड़ दिया गया है)

| | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| **IV. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ** | | | | |
| अथ शेष | 3048,07,72 | | 1119,88,09 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 4647,87,02 | | 1928,19,63 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | | - | |
| | | **7695,94,74** | | **3048,07,72** |
| **V. विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित** | | | | |
| अथ शेष | 9072,39,67 | | 9274,60,44 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 888,39,11 | | - | |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | | 202,20,77 | |
| | | **9960,78,78** | | **9072,39,67** |
| **VI. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ*** | | | | |
| अथ शेष | 50483,22,45 | | 44641,85,54 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 1352,89,36 | | 5841,36,91 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | | - | |
| | | **51836,11,81** | | **50483,22,45** |
| **VII. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ** | | | | |
| अथ शेष | 23577,34,78 | | 23762,66,57 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | - | | - | |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | 199,48,07 | | 185,31,79 | |
| | | **23377,86,71** | | **23577,34,78** |
| | | | | |
| **VIII लाभ-हानि खाते का अधिशेष** | | **5881,40,49** | | **(3600,84,47)** |
| | | | | |
| **योग** | | **279195,59,89** | | **252982,72,85** |

* नोट: राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों में शामिल हैं

(i) एकीकरण एवं विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हजार)

(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ ₹15696,95,76 हजार (पिछले वर्ष ₹14528,51,76 हजार)

(iii) निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ शून्य )

## अनुसूची 3 - जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|
| **क.** | **I. मांग जमाराशियाँ** | | |
| | (i) बैंकों से | 6551,52,93 | 5815,51,86 |
| | (ii) अन्य से | 270172,30,80 | 280881,87,39 |
| | **II. बचत बैंक जमाराशियाँ** | 1526856,80,29 | 1384583,88,91 |
| | **III. सावधि जमाराशियाँ** | | |
| | (i) बैंकों से | 7909,81,63 | 5585,34,88 |
| | (ii) अन्य से | 2240043,66,62 | 2004410,44,92 |
| **योग** | | **4051534,12,27** | **3681277,07,96** |
| **ख.** | I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ | 3920200,81,67 | 3570164,90,88 |
| | II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ | 131333,30,60 | 111112,17,08 |
| **योग** | | **4051534,12,27** | **3681277,07,96** |

## अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **भारत में उधार-राशियाँ** | | | | |
| | (i) भारतीय रिज़र्व बैंक | | 24956,00,00 | | 24956,00,00 |
| | (ii) अन्य बैंक | | - | | 37,00,00 |
| | (iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण | | 144073,34,11 | | 154138,69,61 |
| | (iv) पूंजी लिखतें : | | | | |
| | क. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई) | 36709,70,00 | | 29835,70,00 | |
| | ख. गौण ऋण | 35289,90,00 | | 36289,90,00 | |
| | | | 71999,60,00 | | 66125,60,00 |
| **योग** | | | **241028,94,11** | | **245257,29,61** |
| **II.** | **भारत के बाहर उधार-राशियाँ** | | | | |
| | (i) भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित्त | | 185014,43,87 | | 169847,10,27 |
| | (ii) पूंजीगत लिखतें : नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई) | | - | | 2193,30,00 |
| **योग** | | | **185014,43,87** | | **172040,40,27** |
| **कुल योग** | | | **426043,37,98** | | **417297,69,88** |
| उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं | | | 178690,84,91 | | 183941,81,71 |

## अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ व प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|
| I. संदेय बिल | 33431,04,90 | 17685,38,79 |
| II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) | 2344,61,99 | - |
| III. उपचित ब्याज | 17704,33,21 | 15378,91,12 |
| IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल) | 2,55,53 | 2,46,48 |
| V. अन्य (प्रावधानों सहित)* | 176449,28,65 | 148912,89,92 |
| **योग** | **229931,84,28** | **181979,66,31** |

* मानक आस्तियों के लिए ₹19972,60,99 हजार का विवेकशील प्रावधान शामिल है (पिछले वर्ष ₹15293,97,78 हजार)

## अनुसूची 6 - नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|
| I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित) | 21742,92,83 | 23403,41,73 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ | | |
| (i) चालू खाते में | 236116,27,88 | 189798,11,90 |
| (i) अन्य खाते में | - | - |
| **योग** | **257859,20,71** | **213201,53,63** |

## अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|
| **I. भारत में** | | |
| (i) बैंकों में जमाराशियाँ | | |
| (क) चालू खातों में | - | 40,80 |
| (ख) अन्य जमा खातों में | - | - |
| (ii) मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर प्राप्य राशि | | |
| (क) बैंकों में | 60953,22,08 | 47369,93,31 |
| (ख) अन्य संस्थानों में | - | - |
| **योग** | **60953,22,08** | **47370,34,11** |
| | | |
| **II. भारत के बाहर** | | |
| (i) चालू खातों में | 61541,33,80 | 63326,17,58 |
| (ii) अन्य जमा खातों में | 2772,69,44 | 8311,59,05 |
| (iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि | 11425,86,08 | 10829,06,57 |
| **योग** | **75739,89,32** | **82466,83,20** |
| **कुल योग (I एवं II)** | **136693,11,40** | **129837,17,31** |

## अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|
| **I.** | **भारत में निवेश :** | | |
| | (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 1162182,63,96 | 1055288,64,35 |
| | (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | - | - |
| | (iii) शेयर | 12424,39,66 | 7981,38,03 |
| | (iv) डिबेंचर और बांड | 215804,42,59 | 208888,60,89 |
| | (v) अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों में (इसमें सहयोगी सम्मिलित हैं)* | 14012,38,80 | 13475,17,45 |
| | (vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट इत्यादि) | 23582,24,18 | 18640,33,06 |
| **योग** | | **1428006,09,19** | **1304274,13,78** |
| **II.** | **भारत के बाहर निवेश** | | |
| | (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) | 19728,93,24 | 17946,34,44 |
| | (ii) विदेश में स्थापित अनुषंगियाँ तथा/अथवा संयुक्त उद्यम | 5028,44,04 | 4768,15,85 |
| | (iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि) | 28682,00,51 | 24716,56,44 |
| **योग** | | **53439,37,79** | **47431,06,73** |
| **कुल योग (I एवं II)** | | **1481445,46,98** | **1351705,20,51** |
| | | | |
| **III.** | **भारत में निवेश :** | | |
| | (i) निवेशों का सकल मूल्य | 1439648,85,34 | 1314424,07,05 |
| | (ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास | 11642,76,15 | 10149,93,27 |
| | (iii) निवल निवेश (उपर्युक्त I के अनुसार) | 1428006,09,19 | 1304274,13,78 |
| | | | |
| **IV.** | **भारत के बाहर निवेश :** | | |
| | (i) निवेशों का सकल मूल्य | 53537,57,21 | 47461,40,62 |
| | (ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास | 98,19,42 | 30,33,89 |
| | (iii) निवल निवेश (उपर्युक्त II के अनुसार) | 53439,37,79 | 47431,06,73 |
| **कुल योग (III एवं IV)** | | **1481445,46,98** | **1351705,20,51** |

* शेयर आवेदन राशि सहित

## अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|
| **क.** | I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल | 167282,62,94 | 95035,10,23 |
| | II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण | 713526,87,72 | 676439,31,40 |
| | III. सावधि ऋण | 1853157,08,63 | 1678023,37,48 |
| **योग** | | **2733966,59,29** | **2449497,79,11** |

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **ख.** | I. | मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम ₹130915,53,15 हजार शामिल है) (पिछले वर्ष ₹134277,32,43 हजार) | 1874674,76,97 | 1760153,24,52 |
| | II. | बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित | 114697,57,23 | 96522,71,33 |
| | III. | अप्रतिभूत | 744594,25,09 | 592821,83,26 |
| **योग** | | | **2733966,59,29** | **2449497,79,11** |
| | | | | |
| **ग** | **I.** | **भारत में अग्रिम** | | |
| | | (i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 658546,87,83 | 564570,85,92 |
| | | (ii) सार्वजनिक क्षेत्र | 167189,34,75 | 257241,31,86 |
| | | (iii) बैंक | 1001,87,68 | 4618,77,18 |
| | | (iv) अन्य | 1496980,59,45 | 1267713,73,45 |
| **योग** | | | **2323718,69,71** | **2094144,68,41** |
| | | | | |
| | **II.** | **भारत के बाहर अग्रिम** | | |
| | | (i) बैंकों से प्राप्य | 119036,89,80 | 79713,82,13 |
| | | (ii) अन्य से प्राप्य | | |
| | | (क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल | 35342,14,75 | 34993,56,29 |
| | | (ख) सिंडीकेट ऋण | 182163,55,96 | 170243,57,62 |
| | | (ग) अन्य | 73705,29,07 | 70402,14,66 |
| **योग** | | | **410247,89,58** | **355353,10,70** |
| **कुल योग** | | **(ग-I एवं ग-II)** | **2733966,59,29** | **2449497,79,11** |

## अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)** | | | | |
| | पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित पर | 30362,68,76 | | 30317,86,54 | |
| | परिवर्धन: | | | | |
| | - वर्ष के दौरान | 107,12,39 | | 80,86,88 | |
| | - पुनर्मूल्यांकन हेतु | - | | - | |
| | कटौतियाँ | | | | |
| | - वर्ष के दौरान कटौतियाँ | 1,16,82 | | 25,51,07 | |
| | - वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन | 15,50,22 | | 10,53,59 | |
| | अद्यतन मूल्यह्रास | | | | |
| | - लागत पर | 1058,70,21 | | 945,18,85 | |
| | - पुनर्मूल्यांकन पर | 1028,90,79 | | 850,52,10 | |
| | | | **28365,53,11** | | **28566,97,81** |

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **II.** | **अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)** | | | | |
| | पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकन पर | 36131,54,03 | | 33497,62,10 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | 2608,18,79 | | 3359,77,85 | |
| | वर्ष के दौरान कटौतियाँ | 567,89,53 | | 725,85,92 | |
| | अद्यतन मूल्यह्रास | 29069,87,58 | | 26631,11,10 | |
| | | | **9101,95,71** | | **9500,42,93** |
| **III.** | **निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)** | | **240,67,01** | | **351,83,45** |
| **कुल (I, II, एवं III )** | | | **37708,15,83** | | **38419,24,19** |

## अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) | - | 20540,95,39 |
| II. | उपचित ब्याज | 33675,81,75 | 30034,46,90 |
| III. | अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती | 22292,88,93 | 26023,99,26 |
| IV. | आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | 6247,27,92 | 6559,27,43 |
| V. | लेखन सामग्री तथा स्टैम्प | 18,28,40 | 80,41,65 |
| VI. | दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां | 56,10 | 56,10 |
| VII. | अन्य * | 277690,03,23 | 268529,01,64 |
| **TOTAL** | | **339924,86,33** | **351768,68,37** |

(*नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा रखे गए ₹195618,29,52 हजार (पिछले वर्ष ₹184093,45,48 हजार) की जमाराशियाँ शामिल हैं।

## अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | बैंक के विरुद्द दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | 85961,67,98 | 79083,37,30 |
| II. | अंशत: प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता | 1982,56,16 | 1508,40,25 |
| III. | बकाया वादा विनिमय संविदाओं के संबंध में देयता | 1212393,31,12 | 1027974,90,38 |
| IV. | ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ | | |
| | (क) भारत में | 166478,97,17 | 173090,50,78 |
| | (ख) भारत के बाहर | 95194,96,23 | 72702,50,07 |
| V. | प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व | 178718,66,77 | 148827,19,35 |
| VI. | अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है* | 266353,28,63 | 203763,03,04 |
| **योग** | | **2007083,44,06** | **1706949,91,17** |

* ₹ 259459,41,01 हजार के डेरिवेटिव (पिछले वर्ष ₹ 198094,76,48 हजार) शामिल हैं।

# भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | अनुसूची संख्या | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **आय** | | | |
| | अर्जित ब्याज | 13 | 275457,29,04 | 265150,63,38 |
| | अन्य आय | 14 | 40563,91,40 | 43496,37,47 |
| **योग** | | | **316021,20,44** | **308647,00,85** |
| **II.** | **व्यय** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज | 15 | 154749,70,43 | 154440,63,33 |
| | परिचालन व्यय | 16 | 93397,51,52 | 82652,22,35 |
| | प्रावधान और आकस्मिक व्यय | | 36198,00,44 | 51143,68,23 |
| **योग** | | | **284345,22,39** | **288236,53,91** |
| **III.** | **लाभ** | | | |
| | निवल लाभ वर्ष के लिए | | 31675,98,05 | 20410,46,94 |
| | जोड़ें: आगे लाया गया लाभ/ (हानि) | | (3600,84,46) | (10498,30,21) |
| **योग** | | | **28075,13,59** | **9912,16,73** |
| **IV.** | **विनियोजन** | | | |
| | सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण | | 9502,79,42 | 6123,14,08 |
| | पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण | | 538,15,24 | 1465,12,42 |
| | निवेश उतार-चढ़ाव निधि में अंतरण | | 4647,87,02 | 1928,19,63 |
| | राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित | | 1168,44,00 | 426,70,60 |
| | चालू वर्ष के लिए डिविडेंड | | 6336,47,42 | 3569,84,46 |
| | तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि | | 5881,40,49 | (3600,84,46) |
| **योग** | | | **28075,13,59** | **9912,16,73** |
| **V.** | **प्रति शेयर मूल आय (प्रति शेयर 1 रुपए का अंकित मूल्य)** | | | |
| | मूल (₹) | | 35.49 | 22.87 |
| | प्रति शेयर कम की गई आय (₹) | | 35.49 | 22.87 |
| | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 17 | | |
| | लेखा टिप्पणियाँ | 18 | | |

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **श्री अश्विनी कुमार तिवारी** | **श्री स्वामीनाथन जे.** | **श्री अश्वनी भाटिया** | **श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी** |
| प्रबंध निदेशक | प्रबंध निदेशक | प्रबंध निदेशक | प्रबंध निदेशक |
| (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां) | (जोखिम, अनुपालन एवं सार्ग) | (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स) | (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) |

**निदेशक:**

श्री बी वेणुगोपाल
डॉ गणेश नटराजन
श्री मृगांक एम परांजपे
श्री केतन एस विकमसी
श्री संजीव माहेश्वरी
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022

In terms of our report of even date

**कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**शैलेश शाह**
**भागीदार स.क्र.** 033632
**फर्म पं. क्र.** 105049W
UDIN:22033632AIXHQQ3021

**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**हेनील के पटेल**
**भागीदार स.क्र.** 114103
**फर्म पं. क्र.** 109574W
UDIN:22114103AIXKLG7230

**कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एल श्यामा प्रसाद**
**भागीदार स.क्र.** 028224
**फर्म पं. क्र.** 004453S
UDIN:22028224AIXHMB9621

**कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**अनुज ढींगरा**
**भागीदार स.क्र.** 512535
**फर्म पं. क्र.** 000235N/N500089
UDIN:22512535AIXKXX2970

**कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**प्रवीण कुमार**
**भागीदार स.क्र.** 088810
**फर्म पं. क्र.** 009571N/N500006
UDIN:22088810AIXJER5275

**कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**प्रेम बिहारी गुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 080245
**फर्म पं. क्र.** 000425N
UDIN:22080245AIXKLC5297

**कृते गुहा नंदी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**डॉ बी एस कुंडु**
**भागीदार स.क्र.** 051221
**फर्म पं. क्र.** 302039E
UDIN:22051221AIXPYM6914

**कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एम आर जैन**
**भागीदार स.क्र.** 050919
**फर्म पं. क्र.** 303002E
UDIN:22050919AIXHIH2828

**कृते के सी मेहता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**चिराग बक्शी**
**भागीदार स.क्र.** 047164
**फर्म पं. क्र.** 106237W
UDIN:22047164AIXKOQ4739

**कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

**अनिरुद्ध सेनगुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 051371
**फर्म पं. क्र.** 311017E
UDIN:22051371AIXHWT8422

**कृते सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**वी नटराजन**
**भागीदार स.क्र.** 223118
**फर्म पं. क्र.** 004283S
UDIN:22223118AIXKPX8986

**कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**आनंद शर्मा**
**भागीदार स. क्र.** 129033
**फर्म पं. क्र.** 110758W/W100377
UDIN:22129033AIXMPT2135

Place - Mumbai
Date - May 13, 2022

# लाभ और हानि खाते में शामिल अनुसूचियां 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

## अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | 171823,73,09 | 171429,13,89 |
| II. | निवेशों पर आय | 84877,20,42 | 79808,09,01 |
| III. | भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज | 4377,91,06 | 4317,53,07 |
| IV. | अन्य | 14378,44,47 | 9595,87,41 |
| **योग** | | **275457,29,04** | **265150,63,38** |

## अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली | 24565,21,06 | 23517,51,44 |
| II. | निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) [1] | 3485,08,43 | 6030,93,10 |
| III. | निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल) | (263,27,88) | - |
| IV. | भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) | (16,86,60) | (28,58,17) |
| V. | विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल) | 3479,04,06 | 2409,63,79 |
| VI. | विदेश/भारत में अनुषंगियों/कंपनियों तथा/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय | 718,37,49 | 642,86,22 |
| VII. | विविध आय [2] | 8596,34,84 | 10924,01,09 |
| **योग** | | **40563,91,40** | **43496,37,47** |

[1] निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) में ₹शून्य की विशेष मदें शामिल हैं।(पिछले वर्ष ₹ 1539,73,30 हजार)

[2] विविध आय में अपलिखित खातों में की गई ₹7781,69,59 हजार की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹10297,21,29 हजार)

## अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

| | | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | जमाराशियों पर ब्याज | 141247,47,11 | 142435,24,72 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज | 7779,35,70 | 6130,13,01 |
| III. | अन्य | 5722,87,62 | 5875,25,60 |
| **योग** | | **154749,70,43** | **154440,63,33** |

# अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000को छोड़ दिया गया है)

| | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹ | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹ |
|---|---|---|
| I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान[3] | 57561,98,54 | 50936,00,01 |
| II. भाड़ा, कर और लाइटिंग | 5362,15,52 | 5253,17,14 |
| III. मुद्रण और लेखन सामग्री | 615,09,43 | 505,24,14 |
| IV. विज्ञापन व प्रचार | 316,15,73 | 238,41,25 |
| V. बैंक की संपति पर मूल्यह्रास | 3248,58,59 | 3317,55,25 |
| VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय | 1,70,49 | 2,43,12 |
| VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित) | 270,60,67 | 274,18,79 |
| VIII. विधि प्रभार | 241,38,60 | 215,25,31 |
| IX. डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि | 507,66,87 | 301,86,59 |
| X. मरम्मत और अनुरक्षण | 1036,20,89 | 916,42,58 |
| XI. बीमा | 5239,81,42 | 4348,00,06 |
| XII. अन्य व्यय | 18996,14,77 | 16343,68,11 |
| **योग** | **93397,51,52** | **82652,22,35** |

[3] 11 नवंबर 2020 के द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के अंतर्गत कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन में हुई वृद्धि के लिए ₹ 7418,39,00 हजार (पिछले वर्ष शून्य) को असाधारण मद के रूप में शामिल किया है।

# अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

## क. पृष्ठभूमि :

भारतीय स्टेट बैंक, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है, जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों एवं संस्थागत ग्राहकों को व्यापक श्रेणी के उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करने में लगा है। बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों अर्थात बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति में लागू किए जाने वाले विशिष्ट लेखा सिद्धांतों एवं लागू करने की विधियों को नीचे दिया गया है।

## ख. तैयार करने का आधार :

बैंक की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के वैधानिक दिशा-निर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है।

विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबद्ध देश के सांविधिक प्रावधान एवं स्थानीय क़ानून ज्यादा विवेकपूर्ण होने पर उनका अनुपालन किया जाता है।

बैंक के वित्तीय विवरण स्थिरता और संचय की मौलिक लेखा मान्यताओं के साथ, अवधिगत लागत परिपाटी, कार्यशील संस्था अवधारणा, जब तक अन्यथा उलखित न हो, को ध्यान में रखते हुए लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

यह वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

## ग. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन-मंडल को उन प्राक्कलनों और धारणाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के रूप में आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) की कथित राशि में माना जाता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में इस्तेमाल किया गया प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

## घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

### 1. राजस्व निर्धारण :

1.1 जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है।

1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित के लिए वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है:

(i) विदेशी कार्यालयों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक/ संबंधित देश विनियामकों (जिसे सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से आय

(ii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में किए गए निवेश की बिक्री पर और अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ को, इस संबंध में लागू करों और सांविधिक रिजर्व में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि को घटाकर 'कैपिटल रिजर्व' में विनियोजित किया जाता है।

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेश के अधिग्रहण पर छूट यदि कोई हो, तो उसे निम्नानुसार गिना जाता है:

क. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर आय विक्रय और शोधन के समय हिसाब में लिया जाता है।

ख. शून्य कूपन वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, सतत आय के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।

1.4 जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है वहाँ लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गयी है।

1.5 साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी), आस्थगित भुगतान गारंटी, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और "पुनर्गठित खाते पर अग्रिम शुल्क" पर कमीशन को इस अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से अर्जित आधार पर हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

1.6 विशेष आवास ऋण योजना के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम (दिसंबर 2008 से जून 2009 तक) का परिशोधन 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में किया गया है।

1.7 बॉन्ड/ जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई गई दलाली, कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.8 बैंक जब अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचता है, तो वह इसे अपने खातों से हटा देता है और उन्हें निम्नानुसार हिसाब में लेता है :

I. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है।

II. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

## 2. निवेश

निवेशों के वर्गीकरण एवं मूल्य निर्धारण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नीचे दिए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को हिसाब में लिया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

### 2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)। तुलनपत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों का वर्गीकरण भारत में और भारत के बाहर के निवेश के रूप में किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का पुनः वर्गीकरण (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii)अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य के रूप में किया गया है। 'भारत के बाहर के निवेशों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

### 2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. जिन निवेशों को बाद में बेच देने के उद्देश्य से ही खरीदा और रखा जाता है, को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेशों को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### 2.3 मूल्यांकन :

i. सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन एक निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और लागत एचटीएम श्रेणी के तहत निवेश को छोड़कर भारित औसत लागत विधि पर निर्धारित की जाती है जो एफआईएफओ आधार (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) पर आधारित है।

क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है। निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

ख) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

ii. **परिपक्वता तक धारित श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:**

क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है अभिग्रहण पर प्रदत्त कमीशन का परिशोधन नियत आय आधार पर परिपक्वता अवधि के लिए किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर आय" शीर्ष के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

(ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश (देश और विदेश दोनों) को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। प्रत्येक निवेश के मामले में अस्थायी से इतर कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

iii. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियों का मूल्यांकन:**

एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर iv) बांड एवं ऋणपत्र v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम (vi) अन्य के लिए सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है।

iv. **निवेशों का अंतर-श्रेणी अंतर होने पर मूल्यांकन की नीति :**

क) एचटीएफ/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

ख) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के तुरंत बाद इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यह्रास के लिए लाभ और हानि खाते में प्रावधान किया जाता है।

v. **प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में मूल्यांकन:**

क) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता

ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों

में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

vi) ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

2.4 **निवेश (एनपीआई)**

i. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(ख) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन ₹1/- प्रति कंपनी किया गया है, वहाँ ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(ग) यदि एक ही उधारकर्ता/सुविधा द्वारा प्राप्त की गई किसी ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो बैंक निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में वर्गीकृत करता है। उपर्युक्त नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिसे अग्रिम माना गया है, पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

ii. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु वर्गीकरण एवं प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए लेखांकन :

बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बाजार भागीदारों के साथ रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन करता है। पुनर्खरीद लेनदेन प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करने के लिए एक समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार को दर्शाता है। प्रतिभूतियों की खरीद द्वारा उधार ली गई निधियाँ रिवर्स रेपो लेनदेन होते हैं।

(क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ के लेनदेनों को संपार्श्विक उधार देने एवं उधार लेने के लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है।

(ख) बाजार रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों में बेची गई (खरीदी गई) एवं पुनः खरीदी गई (पुनः बेची गई) प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त विक्रय (क्रय) लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजाही को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है।

(ग) रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(घ) रिवर्स रेपो खाते में 14 दिनों या उससे कम की मूल अवधि के साथ शेष राशि को अनुसूची 7 (कॉल और शॉर्ट नोटिस पर बैंकों और धन के साथ शेष) के तहत वर्गीकृत किया गया है। मूल परिपक्वता वाले रिवर्स रेपो को 14 दिनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक के लिए अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत सावधि ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य रेपो लेनदेन उधार लेने की लागत एवं रेवर्स रेपो लेनदेनों पर आय को क्रमशः ब्याज व्यय एवं ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

## 3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान: :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहने अर्थात् बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाने या तुलनपत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक किसी भी राशि को जमा नहीं किए जाने अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होने पर इन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iv. कृषि अग्रिमों के मामले में यदि (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं, उन्हें अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक: कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक है।

ii. संदिग्ध: कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।

iii. हानिप्रद: कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की गई है, किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

| | | |
|---|---|---|
| **अवमानक आस्तियाँ :** | i. | कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान |
| | ii. | प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति की वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है) |
| | iii. | इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ एस्क्रो खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20% |
| **संदिग्ध आस्तियां :** | | |
| -प्रतिभूत हिस्सा : | i. | एक वर्ष तक - 25% |
| | i. | एक से तीन वर्ष - 40% |
| | i. | तीन वर्ष से अधिक - 100% |
| -अप्रतिभूत हिस्सा | 100% | |
| **हानिप्रद आस्तियां :** | 100%. | |

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर हानियों के लिए किए गए प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्रचित/पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान के अलावा पुनर्रचना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी एवं छोड़ दिए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान-अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दिए गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक निम्नलिखित आरबीआई परिपत्र के अनुसार पुनर्गठित विशिष्ट गैर-निष्पादित आस्तियों और आस्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान भी करता है

3.11 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता गहै:

क. प्रभार, लागत, कमीशन आदि

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग. मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

## 4. अस्थिर प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल) प्रावधान बफर :

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर तथा अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

## 5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा- नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। इस प्रावधान को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

## 6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक विदेशी मुद्रा ऑप्शन, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप और तुलनपत्र से बाहर/बैलेंस शीट से इतर आस्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव करार करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए हेजिंग करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन

डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे हेजिंग लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

6.2 हेज संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को संचय के आधार पर दर्ज किया गया है। हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य राशियाँ" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य राशियाँ 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटी) विक्लपों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

## 7. अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की तारीख को संचित मूल्यह्रास घटाने के बाद उचित मूल्य होने के कारण पूर्ण स्वामित्व वाले परिसरों का अंकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व अदा की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं। देशी कार्यालयों की अचल आस्तियों का मूल्यह्रास आस्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नानुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है:

| क्र. सं. | अचल आस्तियों का विवरण | उपयोगिता अवधि मूल्यह्रास |
|---|---|---|
| i. | कंप्यूटर | 3 वर्ष |
| ii. | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है | 3 वर्ष |
| iii. | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च | 3 वर्ष |
| iv, | ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वैंडिंग मशीन | 5 वर्ष |
| v. | सर्वर | 4 वर्ष |
| vi. | नेटवर्क उपकरण | 5 वर्ष |
| vii. | अन्य प्रमुख अचल आस्तियां : | |
| | परिसर | 60 वर्ष |
| | वाहन | 5 वर्ष |
| | सुरक्षित जमा लॉकर | 20 वर्ष |
| | फर्नीचर व फिक्सचर | 10 वर्ष |

7.3 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.4 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.5 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि में (परिसर एवं बेमियादी पट्टे पर भूमि को छोड़कर) परिशोधित किया गया है और परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

7.6 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.7 बैंक प्रत्येक तीन वर्षों में पूर्ण स्वामित्व की अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अन्य राजस्व आरक्षिति को विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

## 8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

## 9. आस्तियों के मूल्य में कमी:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों के मूल्य में आई कमी

की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप उस राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

## 10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

### 10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (हाजिर/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम हाजिरी दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. उन विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम हाजिर दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को आरंभ से दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की खुली स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

### 10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को गैर-समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**क. गैर-समाकलित परिचालन:**

i. गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर- राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

**ख. समाकलन परिचालन:**

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों (हाजिरी/वादा) पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

## 11. कर्मचारी हितलाभ :

### 11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, जैसे अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की गैर-बट्टाकृत राशियों को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान हिसाब में लिया गया है।

### 11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

**i. नियत हितलाभ योजनाएं :**

क. बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। सभी पात्र कर्मचारी बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ये हितलाभ प्राप्त करने के

हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। बैंक एसबीआई पेंशन निधि नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियमों के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर इस निधि में अतिरिक्त अंशदान करता है।

ग. नियत हितलाभ प्रदान करने संबंधी लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

**ii. नियत अंशदान योजना :**

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और ऐसे नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

**iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :**

क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

## 12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट खंड तथा भौगोलिक खंड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मानता है।

## 13. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो 'आय पर कर का लेखांकन' से संबंधित है, के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को लागू या बाद में लागू कर दरों और कर नियमों द्वारा मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। क्या आस्थगित कर आस्तियों

की वसूली निश्चित है, इस बारे में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर उनको प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हिसाब में लिया जाता है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अग्रनीत आस्थगित कर आस्तियों को गैर-आमेलित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में तभी माना जाता है, जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर आस्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

## 14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय सूचित करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना ईक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के कर पश्चात निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय से वह संभावित कमी सूचित होती है, जो इक्विटी शेयरों को जारी करने हेतु प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का पर घटती है। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

## 15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुरूप बैंक प्रावधान को तभी मानता है, जब उसमें पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ हो और इससे देयता की पूर्ति करने के लिए आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो तथा जब देयता की राशि का सही आकलन किया जा सके।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किंतु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

   क. यह संभव नहीं है कि दायित्व की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

   ख. दायित्व की पूर्ति हेतु राशि का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर किया जाता है। केवल उन अपवादात्मक परिस्थितियों जहां, कोई सही आकलन नहीं किया जा सकता, को छोड़कर ऐसे दायित्व के केवल उस अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, जिसके आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तभी किया जाता है, जब किसी संविदा से बैंक को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ संविदा के अंतर्गत भावी देयताओं की पूर्ति के अपरिहार्य व्ययों से कम हो। प्रावधान राशि का निर्धारण संविदा को समाप्त करने के संभावित न्यूनतम व्यय के वर्तमान मूल्य एवं संविदा को जारी रखने के संभावित निवल व्यय पर किया जाता है। प्रावधान की राशि का निर्धारण करने से पूर्व बैंक संविदा से जुड़ी आस्तियों पर नुकसान को हिसाब में लेता है।

15.5 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

## 16. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर शुल्क के रूप में आय प्राप्त करता है। इस शुल्क की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक स्वर्ण जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

## 17. विशेष आरक्षित निधियां:

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

## 18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

## 19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

# अनुसूची- 18- लेखा-टिप्पणियाँ

## 18.1 सांविधिक पूंजी

### क. सांविधिक पूंजी की संरचना

बेसल II के अनुसार

| क्र. सं. | मदें | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|
| (i) | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%) | लागू नहीं | |
| (ii) | टियर 1 पूंजी-अनुपात (%) | 11.16% | 11.19% |
| (iii) | टियर 2 पूंजी-अनुपात (%) | 2.69% | 2.63% |
| (iv) | कुल पूंजी-अनुपात- (%) | 13.85% | 13.82% |

बेसल - III के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मदें | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|
| (i) | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी | 2,46,360.79 | 2,25,248.09 |
| (ii) | अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी | 36,709.70 | 31,928.94 |
| (iii) | टियर 1 पूंजी (i+ii) | 2,83,070.49 | 2,57,177.03 |
| (iv) | टियर 2 पूंजी | 59,721.52 | 51,715.70 |
| (v) | कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2) | 3,42,792.01 | 3,08,892.73 |
| (vi) | कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरढब्ल्यूए) | 24,78,703.46 | 22,49,038.34 |
| (vii) | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%) (आरढब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी टियर 1) | 9.94% | 10.02% |
| (viii) | टियर 1 पूंजी अनुपात (%) (आरढब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) | 11.42% | 11.44% |
| (ix) | टियर 2 पूंजी अनुपात (%) (आरढब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) | 2.41% | 2.30% |
| (x) | जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात(आरढब्ल्यूए) (%)(आरढब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी ) | 13.83% | 13.74% |
| (xi) | लीवरेज अनुपात | 5.09% | 5.12% |
| (xii) | भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | 56.92% | 56.92% |
| (xiii) | वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत इक्विटी पूंजी की राशि | - | - |
| (xiv) | वर्ष के दौरान उगाही गई गैर-इक्विटी टियर-1 पूंजी की राशि: बेसल III अनुपालन बेमियादी ऋण लिखतें (पीडीआई): | 13,974.00 | 6,500.00 |
| (xv) | वर्ष के दौरान उगाही गई टियर-2 पूंजी की राशि: ऋण पूंजी लिखतें | - | 20,931.00 |

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के माध्यम से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-I पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

### ख. आरक्षित निधि से निकासी:

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से लाभ व हानि खाते में कोई निकासी नहीं की गई।

## ग. नवोन्मेशी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-I पूंजी के लिए पात्र है तथा बकाया हैं उन आईपीडीआई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i) विदेशी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | निर्गम तिथि | अवधि | राशि | 31.03.2022 को ₹ के समतुल्य | 31.03.2021 को ₹ के समतुल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| एमटीएन कार्यक्रम 29वीं श्रृंखला के अंतर्गत जारी अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) बॉण्ड | 22.09.2016 | बेमियादी अनाहूत (नॉन-काल) 5 वर्ष | 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर | निरंक | 2,193.30 |

ii) देशीय:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | बॉण्डों का स्वरूप | मूल राशि | निर्गम तिथि* | वार्षिक ब्याज की दर % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2017 अप्रतिभूत बेसल III एटी श्रृंखला IV | 2,000.00 | 02.08.2017 | 8.15 |
| 2. | एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2018 | 4,021.00 | 04.12.2018 | 9.56 |
| 3. | एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2018 श्रृंखला II | 2,045.00 | 21.12.2018 | 9.37 |
| 4. | एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2018 श्रृंखला III | 1,251.30 | 22.03.2019 | 9.45 |
| 5. | एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2019-20 श्रृंखला I | 3,104.80 | 30.08.2019 | 8.75 |
| 6. | एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2019-20 श्रृंखला II | 3,813.60 | 22.11.2019 | 8.50 |
| 7. | एसबीआई बेसल III-एटी1 बांड 2020-21 श्रृंखला I | 4,000.00 | 09.09.2020 | 7.74 |
| 8. | एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड-- श्रृंखला II 2020 | 2,500.00 | 24.11.2020 | 7.73 |
| 9. | एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बॉण्ड श्रृंखला I 2021 | 4,000.00 | 03.09.2021 | 7.72 |
| 10. | एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बॉण्ड श्रृंखला II 2021 | 6,000.00 | 18.10.2021 | 7.72 |
| 11. | एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बॉण्ड श्रृंखला III 2021 | 3,974.00 | 14.12.2021 | 7.55 |
| **कुल** | | **36,709.70** | | |

## घ. गौण ऋण

बॉण्ड अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं सम मूल्य पर मोचनीय पर होते हैं। बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | बॉण्ड का स्वरूप | मूल राशि | निर्गम तिथि / मोचन की तिथि | वार्षिक ब्याज दर % | परिपक्वता अवधि (माह में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एसबीआई अपरिवर्तनीय | 2,000.00 | 02.01.2014 | 9.69 | 120 |
| | (निजी स्थानक) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II) | | 02.01.2024 | | |
| 2. | पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II | 500.00 | 17.12.2014 | 8.55 | 120 |
| | बेसल III अनुपालक | | 17.12.2024 | | |
| 3. | पूर्ववर्ती एसबीपी टियर II | 950.00 | 22.01.2015 | 8.29 | 120 |
| | बेसल III अनुपालक (श्रृंखला I) | | 22.01.2025 | | |
| 4. | पूर्ववर्ती एसबीबीजे टियर II | 200.00 | 20.03.2015 | 8.30 | 120 |
| | बेसल III अनुपालक | | 20.03.2025 | | |
| 5. | पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II | 393.00 | 31.03.2015 | 8.32 | 120 |
| | बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XIV) | | 31.03.2025 | | |
| 6. | पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II | 500.00 | 30.12.2015 | 8.40 | 120 |
| | बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XV) | | 30.12.2025 | | |
| 7. | पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II | 300.00 | 31.12.2015 | 8.40 | 120 |
| | बेसल-III - अनुपालक | | 31.12.2025 | | |
| 8. | पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II | 200.00 | 18.01.2016 | 8.45 | 120 |
| | बेसल-III - अनुपालक | | 18.01.2026 | | |
| 9. | पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II | 200.00 | 08.02.2016 | 8.45 | 120 |
| | बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XVI) | | 08.02.2026 | | |
| 10. | एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत | 4,115.90 | 02.11.2018 | 8.90 | 120 |
| | बेसल III - टियर II बॉण्ड 2018 | | 02.11.2028 | | |
| 11. | एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत | 5,000.00 | 28.06.2019 | 7.99 | 120 |
| | बेसल III - टियर II बॉण्ड 2019-20 | | 28.06.2029 | | |
| 12. | एसबीआई यूएस बेसल III टियर II बॉण्ड 20-21 | 8,931.00 | 21.08.2020 | 6.80 | 180 |
| | श्रृंखला I | | 21.08.2035 | | |
| 13. | एसबीआई बेसल III टियर II बॉण्ड 20-21 | 7,000.00 | 21.09.2020 | 6.24 | 120 |
| | श्रृंखला 2 | | 21.09.2030 | | |
| 14. | एसबीआई बेसल III टियर 2 बॉण्ड 20-21 | 5,000.00 | 26.10.2020 | 5.83 | 120 |
| | श्रृंखला 3 | | 26.10.2030 | | |
| **योग** | | **35,289.90** | | | |

## 18.2. आस्ति देयता प्रबंधन:

### क. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

(₹ करोड़ में)

| | 1 दिन | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15 से 30 दिन | 31 से अधिक तथा 2 माह तक | 2 माह तथा 3 माह तक | 3 माह से अधिक तथा 6 माह तक | 6 माह से अधिक तथा 1 वर्ष तक | 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक | 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक | 5 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमाएँ | 65,464.24 | 79,811.62 | 49,407.77 | 66,029.77 | 74,518.20 | 62,378.97 | 1,69,876.16 | 9,51,227.96 | 8,88,676.97 | 4,42,764.54 | 12,01,377.92 | 40,51,534.12 |
| | (61,000.40) | (81,740.96) | (37,397.22) | (60,992.50) | (67,323.35) | (52,966.63) | (1,47,492.87) | (8,84,125.18) | (7,95,452.18) | (3,81,382.99) | (11,11,402.81) | (36,81,277.08) |
| अग्रिम | 35,455.14 | 17,489.88 | 21,462.78 | 45,328.82 | 57,802.93 | 59,606.96 | 1,53,396.53 | 2,20,131.63 | 9,63,157.51 | 3,58,491.91 | 8,01,642.50 | 27,33,966.59 |
| | (44,156.96) | (13,618.48) | (16,535.47) | (37,631.95) | (44,757.21) | (35,877.97) | (1,17,416.16) | (1,98,447.37) | (8,70,870.70) | (3,19,249.93) | (7,50,935.58) | (24,49,497.79) |
| निवेश | 324.55 | 1,146.46 | 4,577.73 | 3,851.73 | 9,930.25 | 21,605.55 | 58,778.27 | 96,380.18 | 3,88,944.97 | 2,54,458.06 | 6,41,447.72 | 14,81,445.47 |
| | (-) | (723.63) | (16,260.31) | (6,012.07) | (9,495.37) | (28,297.98) | (51,810.86) | (99,275.54) | (3,31,272.42) | (2,25,496.00) | (5,83,061.03) | (13,51,705.21) |
| उधारियाँ | 58.99 | 1,50,299.24 | 7,992.20 | 12,734.96 | 18,023.76 | 16,628.14 | 27,877.17 | 21,910.67 | 86,386.10 | 60,331.41 | 23,800.74 | 4,26,043.38 |
| | (823.85) | (1,53,783.04) | (1,469.67) | (11,857.36) | (13,923.44) | (14,091.50) | (38,619.46) | (33,828.43) | (68,089.88) | (50,667.23) | (30,143.85) | (4,17,297.70) |
| विदेशी मुद्रा आस्तियाँ# | 10,959.11 | 7,939.73 | 12,880.42 | 25,295.77 | 31,319.50 | 32,758.84 | 60,542.17 | 58,350.82 | 1,29,602.34 | 80,642.55 | 63,806.67 | 5,14,097.92 |
| | (20,756.79) | (4,673.29) | (6,896.79) | (15,877.37) | (18,425.06) | (21,565.40) | (42,269.41) | (52,925.55) | (1,21,257.36) | (78,665.89) | (61,116.20) | (4,44,429.10) |
| विदेशी मुद्रा देयताएँ $ | 30,609.40 | 9,560.59 | 9,743.65 | 17,542.84 | 22,526.37 | 26,932.35 | 43,668.69 | 56,277.39 | 70,303.27 | 46,238.82 | 21,258.68 | 3,54,662.04 |
| | | (8,346.94) | (2,687.12) | (16,523.04) | (20,318.23) | (21,034.39) | (45,402.52) | (63,708.64) | (57,863.70) | (39,598.84) | (14,511.65) | (3,17,950.91) |

# विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिमों तथा निवेशों को व्यक्त करती हैं।

$ विदेशी मुद्रा देयताएँ उधारियों तथा जमाओं को व्यक्त करती हैं।

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2021 के हैं)।

### ख. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर):

i. एकल एलसीआर

- चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि कोई बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखे है ताकि गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिन की समय अवधि के लिए बैंक की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

$$\text{एचक्यूएलए} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह}}$$

- तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली वे आस्तियाँ होती हैं जिनका आसानी से नकदीकरण किया जा सकता है या किसी प्रकार के तनाव परिदृश्य में नकदी प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- एचक्यूएलए स्टॉक में दो प्रकार की आस्तियाँ शामिल होती हैं अर्थात स्तर 1 तथा स्तर 2 आस्तियाँ। स्तर 1 आस्तियाँ 0% हेयरकट (मार्जिन) के साथ जबकि लेवल 2ए और लेवल 2बी आस्तियाँ क्रमशः 15% और 50% हेयरकट के साथ होती हैं।
- कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह, अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल नकदी अंतरप्रवाह को घटाकर प्राप्त राशि है।
- कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों या प्रकार की देनदारियों और तुलनपत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं की बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा है, जिस पर उनका चले जाना या आहरित किया जाना अनुमानित होता है।

- कुल अपेक्षित नकदी अंतरप्रवाह की गणना संविदागत प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेष को उस दर से गुणा करके किया जाता है, जिस पर उनका अंत:प्रवाह अनुमानित है, यह अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह की औसत 75% तक की सीमा तक होता है।

**मात्रात्मक प्रकटीकरण:**

(₹ करोड़ में )

**LIQUIDITY COVERAGE RATIO**

| | | Quarter ended March 31, 2022 | | Quarter ended December 31, 2021 | | Quarter ended September 30, 2021 | | Quarter ended June 30, 2021 | | Quarter ended March 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCR COMPONENTS | | Total Unweighted Value (Average) | Total Weighted Value (Average) | Total Unweighted Value (Average) | Total Weighted Value (Average) | Total Unweighted Value (Average) | Total Weighted Value (Average) | Total Unweighted Value (Average) | Total Weighted Value (Average) | Total Unweighted Value (Average) | Total Weighted Value (Average) |
| **HIGH QUALITY LIQUID ASSETS (HQLA)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Total High Quality Liquid Assets(HQLA) | | 11,26,684 | | 12,04,678 | | 12,18,824 | | 11,62,073 | | 11,65,122 |
| **CASH OUTFLOWS** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Retail Deposits and deposits from small business customers, of which: | | | | | | | | | | |
| (i) | Stable deposits | 8,54,540 | 42,727 | 8,54,954 | 42,748 | 8,53,988 | 42,699 | 8,49,046 | 42,452 | 8,29,333 | 41,467 |
| (ii) | Less Stable Deposits | 18,66,220 | 1,86,622 | 18,30,855 | 1,83,085 | 18,08,831 | 1,80,883 | 17,78,038 | 1,77,804 | 17,47,243 | 1,74,724 |
| 3 | Unsecured wholesale funding, of which: | | | | | | | | | | |
| (i) | Operational deposits(all counterparties) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 195 |
| (ii) | Non-operational deposits (all counterparties) | 10,33,929 | 6,30,544 | 9,78,700 | 5,95,527 | 9,65,937 | 5,90,798 | 9,42,797 | 5,61,775 | 8,83,699 | 5,41,738 |
| (iii) | Unsecured debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Secured wholesale funding | 1,76,267 | 25 | 1,50,878 | 631 | 1,01,830 | 966 | 1,12,241 | 914 | 1,39,993 | 1,372 |
| 5 | Additional requirements, of which | | | | | | | | | | |
| (i) | Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 4,01,193 | 4,01,193 | 3,41,852 | 3,41,852 | 2,51,345 | 2,51,345 | 2,12,326 | 2,12,326 | 1,52,989 | 1,52,989 |
| (ii) | Outflows related to loss of funding on debt products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (iii) | Credit and liquidity facilities | 47,971 | 7,990 | 48,280 | 8,428 | 44,694 | 7,887 | 44,185 | 7,737 | 43,125 | 7,326 |
| 6 | Other contractual funding obligations | 38,146 | 38,146 | 33,522 | 33,522 | 32,885 | 32,885 | 30,260 | 30,260 | 39,215 | 39,215 |
| 7 | Other contingent funding obligations | 6,37,250 | 22,598 | 6,21,723 | 22,080 | 6,00,776 | 21,438 | 5,99,963 | 21,304 | 6,10,132 | 22,007 |
| **8** | **TOTAL CASH OUTFLOWS** | 50,55,515 | 13,29,845 | 48,60,765 | 12,27,873 | 46,60,286 | 11,28,902 | 45,68,854 | 10,54,572 | 44,46,513 | 9,81,034 |
| **CASH INFLOWS** | | | | | | | | | | | |
| 9 | Secured lending(eg. Reverse repos) | 75,185 | 0 | 1,04,007 | 0 | 1,16,529 | 0 | 1,01,723 | 0 | 1,46,720 | 0 |
| 10 | Inflows from fully performing exposures | 5,04,133 | 4,77,011 | 4,29,257 | 4,07,358 | 3,40,078 | 3,14,257 | 3,07,393 | 2,81,125 | 2,36,691 | 2,11,019 |
| 11 | Other cash inflows | 44,252 | 36,201 | 50,861 | 43,821 | 60,045 | 52,093 | 51,715 | 44,892 | 41,962 | 35,399 |
| **12** | **TOTAL CASH INFLOWS** | 6,23,571 | 5,13,212 | 5,84,125 | 4,51,179 | 5,16,653 | 3,66,350 | 4,60,832 | 3,26,017 | 4,25,373 | 2,46,418 |
| 13 | TOTAL HQLA | | 11,26,684 | | 12,04,678 | | 12,18,824 | | 11,62,073 | | 11,65,122 |
| 14 | TOTAL NET CASH OUTFLOWS | | 8,16,633 | | 7,76,695 | | 7,62,552 | | 7,28,555 | | 7,34,616 |
| **15** | **LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)** | | **137.97%** | | **155.10%** | | **159.83%** | | **159.50%** | | **158.60%** |

आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर क्रमांक बीपी.बीसी.80/21.06.201/ 2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 में दिए गए दिशानिर्देश अनुसार, औसत भारित और अभारित राशियों की गणना 1 जनवरी 2017 से साधारण दैनिक औसत तथा जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के लिए 66 दिन डेटा बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए की गई है।

बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 21-22 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 137.97% है, यह आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 100% की सीमा से अधिक है। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹11,26,684 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 की आस्तियाँ कुल एचक्यूएलए का 95.14% हैं। स्तर-2ए आस्तियाँ कुल एचक्यूएलए का 4.23% तथा स्तर-2बी आस्तियाँ कुल एचक्यूएलए का 0.63% हैं। सरकारी प्रतिभूति कुल लेवल-1 आस्तियों का 95.68% हैं। तिमाही के दौरान, एचक्यूएलए का भारित स्तर मुख्य रूप से अतिरिक्त एसएलआर अधिशेष में कमी के कारण घटकर ₹ 77,994 करोड़ हो गया तथा भारित औसत निवल नकदी बहिर्प्रवाह की स्थिति बढ़कर ₹ 39,938 करोड़ हो गई। अंर्तप्रवाह तथा बहिर्प्रवाह की लगभग एक समान स्थिति के कारण डेरिवेटिव एक्सपोजर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तिमाही के दौरान, अमेरिकी डॉलर के लिए एलसीआर (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का 5% से अधिक है) 339.84% रहा।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा अल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत विवधिकृत हों तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक एसएलआर निवेशों के रूप में अनिवार्य आवश्यकता से अधिक एचक्यूएलए बनाए रखता रहा है। भली भांति विवधिकृत खुदरा जमाएँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ii) **समेकित एलसीआर**

31 मार्च 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है, तदनुसार, एलसीआर की गणना समूह स्तर पर की गई है।

एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएं हैं: भारतीय स्टेट बैंक और सात विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ: कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) लिमिटेड, एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरीशस) लि., बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया तथा एसबीआई(यूके) लि.

31 मार्च 2022 को जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 तीन महीनों के औसत के आधार पर एसबीआई समूह का एलसीआर 138.29.% आता है, यह न्यूनतम सांविधिक आवश्यकता 100% से अधिक है।

समूह एसएलआर निवेशों के रूप में अनिवार्य आवश्यकता से अधिक एचक्यूएलए बनाए रखता रहा है। खुदरा जमा राशियाँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इसलिए ये भलीभाँति विविधिकृत हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

(₹ करोड़ में)

**Group Liquidity Coverage Ratio (LCR)**

**LIQUIDITY COVERAGE RATIO**

**State Bank of India Group**

| | | Quarter ended March 31, 2022 | | Quarter ended December 31, 2021 | | Quarter ended September 30, 2021 | | Quarter ended June 30, 2021 | | Quarter ended March 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GLCR COMPONENTS** | **Total Unweighted Value (Average)**** | **Total Weighted Value (Average)** | **Total Unweighted Value (Average)**** | **Total Weighted Value (Average)** | **Total Unweighted Value (Average)**** | **Total Weighted Value (Average)** | **Total Unweighted Value (Average)**** | **Total Weighted Value (Average)** | **Total Unweighted Value (Average)**** | **Total Weighted Value (Average)** |
| **HIGH QUALITY LIQUID ASSETS (HQLA)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Total High Quality Liquid Assets(HQLA) | | 11,32,828 | | 12,10,622 | | 12,24,707 | | 11,68,393 | | 11,71,796 |
| **CASH OUTFLOWS** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Retail Deposits and deposits from small business customers, of which: | | | | | | | | | | |
| (i) | Stable deposits | 8,63,104 | 43,155 | 8,63,351 | 43,168 | 8,62,161 | 43,108 | 8,57,321 | 42,866 | 8,37,619 | 41,881 |
| (ii) | Less Stable Deposits | 18,77,488 | 1,87,749 | 18,42,354 | 1,84,235 | 18,20,108 | 1,82,011 | 17,89,453 | 1,78,945 | 17,58,476 | 1,75,848 |
| 3 | Unsecured wholesale funding, of which: | | | | | | | | | | |
| (i) | Operational deposits(all counterparties) | 213 | 53 | 197 | 49 | 167 | 42 | 182 | 46 | 920 | 230 |
| (ii) | Non-operational deposits(all counterparties) | 10,36,748 | 6,32,558 | 9,81,606 | 5,97,336 | 9,69,609 | 5,93,180 | 9,45,679 | 5,63,525 | 8,86,157 | 5,43,301 |
| (iii) | Unsecured debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Secured wholesale funding | 1,76,737 | 156 | 1,51,134 | 663 | 1,02,032 | 971 | 1,12,528 | 943 | 1,40,383 | 1,428 |
| 5 | Additional requirements, of which | | | | | | | | | | |
| (i) | Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 4,01,387 | 4,01,387 | 3,42,056 | 3,42,056 | 2,51,550 | 2,51,550 | 2,12,526 | 2,12,526 | 1,53,055 | 1,53,055 |
| (ii) | Outflows related to loss of funding on debt products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (iii) | Credit and liquidity facilities | 50,247 | 8,719 | 50,566 | 9,310 | 47,147 | 9,162 | 46,239 | 8,783 | 44,886 | 8,251 |
| 6 | Other contractual funding obligations | 39,315 | 39,315 | 34,397 | 34,397 | 33,925 | 33,925 | 31,741 | 31,741 | 40,907 | 40,907 |
| 7 | Other contingent funding obligations | 6,39,545 | 22,668 | 6,24,030 | 22,151 | 6,02,932 | 21,504 | 6,02,047 | 21,368 | 6,12,100 | 22,068 |
| **8** | **TOTAL CASH OUTFLOWS** | **50,84,784** | **13,35,760** | **48,89,692** | **12,33,364** | **46,89,631** | **11,35,454** | **45,97,715** | **10,60,743** | **44,74,505** | **9,86,968** |
| **CASH INFLOWS** | | | | | | | | | | | |
| 9 | Secured lending(eg. Reverse repos) | 75,185 | 0 | 1,04,007 | 0 | 1,16,529 | 0 | 1,01,723 | 0 | 1,46,720 | 0 |
| 10 | Inflows from fully performing exposures | 5,10,004 | 4,80,116 | 4,34,728 | 4,10,185 | 3,46,439 | 3,18,022 | 3,13,594 | 2,85,384 | 2,42,807 | 2,14,517 |
| 11 | Other cash inflows | 44,508 | 36,457 | 51,154 | 44,115 | 60,338 | 52,386 | 52,015 | 45,192 | 42,301 | 35,739 |
| **12** | **TOTAL CASH INFLOWS** | 6,29,697 | 5,16,572 | 5,89,889 | 4,54,299 | 5,23,306 | 3,70,407 | 4,67,333 | 3,30,576 | 4,31,828 | 2,50,255 |
| 13 | **TOTAL HQLA** | | 11,32,828 | | 12,10,622 | | 12,24,707 | | 11,68,393 | | 11,71,796 |
| 14 | **TOTAL NET CASH OUTFLOWS** | | 8,19,188 | | 7,79,065 | | 7,65,046 | | 7,30,167 | | 7,36,713 |
| **15** | **LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)** | | **138.29%** | | **155.39%** | | **160.08%** | | **160.02%** | | **159.06%** |

** Monthly average of 3 months data considered for Overseas Banking Subsidiaries and daily average considered for SBI(Solo).

## ग. निवल स्थिर निधीयन अनुपात:

i. एकल निवल स्थिर निधीयन अनुपात:

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश भविष्य के निधीयन तनाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त रूप से स्थिर निधीयन स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों के निधीयन की आवश्यकता द्वारा दीर्घकालिक समय अवधि में निधीयन जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधीयन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन राशि (एएसएफ़)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन राशि (आरएसएफ़)}} \geq 100\%$$

**मात्रात्मक प्रकटीकरण:** निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च 2022 (अर्थात तिमाही की समाप्ति पर दृष्टव्य) की स्थिति के अनुसार एसबीआई (एकल) के एनएसएफआर घटकों के अभारित और भारित मूल्य शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

**NET STABLE FUNDING RATIO**

**State Bank of India** INR in Crores

**NSFR DISCLOSURE TEMPLATE AS ON QUARTER ENDED 31.03.2022**

| | | Unweighted value by residual maturity | | | | Weighted value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | |
| **ASF Item** | | | | | | |
| 1 | Capital: (2+3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,71,575.25 | 3,71,575.25 |
| 2 | *Regulatory capital* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,71,575.25 | 3,71,575.25 |
| 3 | *Other capital instruments* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 13,32,707.42 | 4,96,720.45 | 4,73,676.67 | 4,41,565.50 | 25,12,074.46 |
| 5 | *Stable deposits* | 3,97,510.32 | 1,59,617.16 | 1,58,337.71 | 1,21,962.95 | 7,95,556.75 |
| 6 | *Less stable deposits* | 9,35,197.10 | 3,37,103.29 | 3,15,338.96 | 3,19,602.55 | 17,16,517.71 |
| 7 | Wholesale funding: (8+9) | 2,61,621.14 | 3,60,809.65 | 2,14,647.50 | 3,21,658.65 | 7,11,288.10 |
| 8 | *Operational deposits* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | *Other wholesale funding* | 2,61,621.14 | 3,60,809.65 | 2,14,647.50 | 3,21,658.65 | 7,11,288.10 |
| 10 | Other liabilities: (11+12) | 0.00 | 1,09,566.48 | 40,699.68 | 19,089.97 | 0.00 |
| 11 | *NSFR derivative liabilities* | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | *All other liabilities and equity not included in the above categories* | 861507.19 | 1,09,566.48 | 40,699.68 | 19,089.97 | 0.00 |
| **13** | **Total ASF (1+4+7+10)** | | | | | 35,94,937.82 |
| **RSF Item** | | | | | | |
| 14 | Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | 72,249.74 |
| 15 | Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 22,644.31 | 51,632.15 | 0.00 | 3,270.25 | 38,773.35 |
| 16 | Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | 6,232.82 | 6,12,568.65 | 3,14,457.29 | 7,37,706.91 | 9,39,729.93 |
| 17 | *Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA* | 0.00 | 482.38 | 0.00 | 0.00 | 48.24 |
| 18 | *Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions* | 0.00 | 94,241.86 | 0.00 | 0.00 | 14,136.28 |
| 19 | *Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:* | 0.00 | 5,17,844.41 | 3,14,457.29 | 3,56,750.80 | 6,48,038.87 |
| 20 | *With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,56,750.80 | 2,31,888.02 |
| 21 | *Performing residential mortgages, of which:* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,58,020.23 | 1,67,713.15 |
| 22 | *With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,58,020.23 | 1,67,713.15 |
| 23 | *Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities* | 6,232.82 | 0.00 | 0.00 | 1,22,935.88 | 1,09,793.40 |
| 24 | Other assets: (sum of rows 25 to 29) | 9,75,855.98 | 89,197.59 | 2,666.00 | 11,02,846.97 | 19,58,771.90 |
| 25 | *Physical traded commodities, including gold* | 0.00 | | | | 0.00 |
| 26 | *Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs* | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.85 |
| 27 | *NSFR derivative assets* | | 4,647.22 | 0.00 | 0.00 | 4,647.22 |
| 28 | *NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted* | | 1,814.12 | 1,454.08 | 927.53 | 4,195.73 |
| 29 | *All other assets not included in the above categories* | 9,75,855.98 | 82,736.25 | 1,211.92 | 11,01,919.44 | 19,48,887.09 |
| 30 | Off-balance sheet items | | 6,93,866.35 | 0.00 | 0.00 | 25,393.38 |
| 31 | **Total RSF (14+15+16+24+30)** | | | | | 30,34,918.29 |
| 32 | **Net Stable Funding Ratio (%)** | | | | | 118.45% |

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं आरबीआई/2017-18/178, डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 दिनांक 17 मई, 2018 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तिमाही अंत के अनुवीक्षण को ऊपर टेम्पलेट में प्रस्तुत किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-2022 की चौथी तिमाही की समाप्ति पर बैंक का एनएसएफआर 118.45% पर आता है जो 01 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से अधिक है। 31.03.2022 को उपलब्ध स्थिर निधीयन राशि (एएसएफ़) ₹35,94,938 करोड़ तथा 31.03.2022 को आवश्यक स्थिर निधीयन राशि (आरएसएफ़) ₹30,34,918 करोड़ थी। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कुल एएसएफ़ तथा कुल एआरएफ़ के मूल्यों में वृद्धि हुई है। एएसएफ़ को एनएसएफआर के लिए महत्त्वपूर्ण समझे गई समयावधि, जो एक वर्ष तक होता है, में विश्वसनीय समझे गए पूंजी तथा देयताओं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी विशेष संस्थान की आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़) राशि तरलता विशिष्टताओं तथा उस संस्थान द्वारा रखी गई अपशिष्ट परिपक्वताओं एवं तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर्स का प्रकार्य है।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन इकाइयाँ तरलता की स्थिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को सूचित करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा अल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत विविधिकृत हों तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। मासिक एनएसएफ़आर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, बैंक की तरलता आवश्यकताओं के आकलन के लिए दैनिक आधार पर बैंक तरलता कवरेज अनुपात की गणना करता है तथा संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार करता है। खुदरा जमा राशियाँ कुल निधियाँ स्रोत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो भली भांति विविधिकृत है। प्रबंधन का विचार है कि भविष्य में संभावित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त तरलता उपलब्ध है।

ii. **समेकित निवल स्थिर निधीयन अनुपात**

आरबीआई के दिशानिर्देशों में दिसंबर 2021 तिमाही से एक समेकित स्तर पर एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया गया है और तदनुसार, एनएसएफआर की गणना समूह स्तर पर की गई है।

एनएसएफआर समूह में शामिल इकाइयां एसबीआई और सात विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ हैं। कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मास्को, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया) लिमिटेड, एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरीशस) लिमिटेड, बैंक एसबीआई इंडोनेशिया और एसबीआई (यूके) लिमिटेड।

31 मार्च 2022 को एसबीआई समूह का एनएसएफ़आर 118.51% है, जो न्यूनतम विनियामक आवश्यकता 100% से अधिक है।

उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण (एएसएफ) को एनएसएफआर के माध्यम से विचार की गई समय अवधि में विश्वसनीय होने की प्रत्याशा वाली पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक वर्ष तक हो सकता है। एक विशिष्ट समूह का आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) तरलता विशेषताओं और उस समूह द्वारा आयोजित विभिन्न आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलनपत्र इतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है।

(₹ in crore)

## NET STABLE FUNDING RATIO

### STATE BANK OF INDIA GROUP

| (Rs.in Crore) | | ıt for the Quarter Ending 31st March 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unweighted value by residual maturity | | | | Weighted value |
| | | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | |
| **ASF Item** | | | | | | |
| **1** | **Capital: (2+3)** | **6,635** | **-** | **-** | **3,79,507** | **3,86,142** |
| 2 | Regulatory capital | 6,635 | - | - | 3,73,153 | 3,79,788 |
| 3 | Other capital instruments | - | - | - | 6,354 | 6,354 |
| **4** | **Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)** | **13,46,773** | **5,02,664** | **4,77,824** | **4,42,070** | **25,35,002** |
| 5 | Stable deposits | 4,05,981 | 1,62,966 | 1,60,670 | 1,22,468 | 8,09,481 |
| 6 | Less stable deposits | 9,40,792 | 3,39,697 | 3,17,154 | 3,19,603 | 17,25,521 |
| **7** | **Wholesale funding: (8+9)** | **2,62,924** | **3,63,436** | **2,16,679** | **3,21,659** | **7,14,269** |
| 8 | Less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers | - | - | - | - | - |
| 9 | Other wholesale funding | 2,62,924 | 3,63,436 | 2,16,679 | 3,21,659 | 7,14,269 |
| **10** | **Other liabilities: (11+12)** | **8,62,915** | **1,13,639** | **40,700** | **19,370** | **-** |
| 11 | NSFR derivative liabilities | 67 | - | - | - | - |
| 12 | All other liabilities and equity not included in the above categories | 8,62,847 | 1,13,639 | 40,700 | 19,370 | - |
| **13** | **Total ASF (1+4+7+10)** | **24,79,248** | **9,79,739** | **7,35,203** | **11,62,606** | **36,35,413** |
| **RSF Item** | | | | | | |
| 14 | Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | 3,616 | 1,522 | 671 | 2,748 | 72,858 |
| 15 | Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 23,024 | 51,633 | 662 | 3,270 | 39,294 |
| **16** | **Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)** | **6,233** | **6,17,584** | **3,16,722** | **7,64,940** | **9,64,637** |
| 17 | Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | - | 482 | - | - | 48 |
| 18 | Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | - | 96,753 | - | - | 14,513 |
| 19 | Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which: | - | 5,20,349 | 3,16,722 | 3,57,699 | 6,51,032 |
| 20 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk | - | - | - | 3,57,645 | 2,32,469 |
| 21 | Performing residential mortgages, of which: | - | - | - | 2,81,748 | 1,87,078 |
| 22 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk | - | - | - | 2,77,726 | 1,84,463 |
| 23 | Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities | 6,233 | - | - | 1,25,492 | 1,11,966 |
| **24** | **Other assets: (sum of rows 25 to 29)** | **9,76,145** | **89,766** | **2,943** | **11,08,236** | **19,65,295** |
| 25 | Physical traded commodities, including gold | - | - | - | - | - |
| 26 | Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs | - | - | - | - | 1,042 |
| 27 | NSFR derivative assets | 20 | 4,647 | - | - | 4,667 |
| 28 | NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted | 1 | 1,814 | 1,454 | 928 | 4,196 |
| 29 | All other assets not included in the above categories | 9,76,125 | 83,304 | 1,489 | 11,07,308 | 19,55,390 |
| **30** | **Off-balance sheet items** | **-** | **6,95,109** | **-** | **-** | **25,601** |
| **31** | **Total RSF (14+15+16+24+30)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30,67,686** |
| **32** | **Net Stable Funding Ratio (%)** | | | | | **118.51%** |

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं आरबीआई/2017-18/178, डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 दिनांक 17 मई, 2018 में दिए गए दिशानिर्देशों, तिमाही अंत के अनुवीक्षण प्रस्तुत किया गए है।

## 18.3. निवेश

### क. निवेश संविभाग की संरचना:

वर्तमान वित्त वर्ष

(करोड़ ₹ में)

| निवेशों की संरचना | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | संपूर्ण बैंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियाँ | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | शेयर | डिबेंचर व बॉण्ड | अनुषंगियाँ एवं /या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | अनुषंगियाँ एवं /या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | कुल निवेश |
| **परिपक्वता तक धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 8,33,382.82 | - | 8.00 | 33,741.28 | 6,205.26 | 1,490.06 | 8,74,827.42 | 794.14 | 5,028.44 | 133.94 | 5,956.52 | 8,80,783.94 |
| घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान | - | - | 8.00 | - | 2.87 | - | 10.87 | - | - | - | - | 10.87 |
| **निवल** | **8,33,382.82** | **-** | **-** | **33741.28** | **6,202.39** | **1,490.06** | **8,74,816.55** | **794.14** | **5,028.44** | **133.94** | **5,956.52** | **8,80,773.07** |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 3,29,274.86 | - | 13,770.82 | 1,84,479.80 | 7,810.00 | 29,951.22 | 5,65,286.72 | 18,967.40 | - | 28,613.65 | 47,581.06 | 6,12,867.75 |
| घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान | - | - | 1,356.19 | 2,416.66 | - | 7,859.04 | 11,631.89 | 32.61 | - | 65.58 | 98.19 | 11,730.08 |
| **निवल** | **3,29,274.86** | **-** | **12,414.63** | **1,82,063.14** | **7,810.00** | **22,092.19** | **5,53,654.81** | **18,934.79** | **-** | **28,548.07** | **47,482.86** | **6,01,137.67** |
| **ट्रेडिंग के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | @-475.04 | - | 9.77 | - | - | - | -465.27 | - | - | - | - | -465.27 |
| घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **निवल** | **-475.04** | **-** | **9.77** | **-** | **-** | **-** | **-465.27** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-465.27** |
| **कुल निवेश** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 11,62,182.64 | - | 13,788.59 | 2,18,221.08 | 14,015.26 | 31,441.28 | 14,39,648.85 | 19,761.54 | 5,028.44 | 28,747.59 | 53,537.57 | 14,93,186.42 |
| घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई)* के लिए प्रावधान | - | - | 1,197.31 | 879.00 | - | - | 2,076.31 | - | - | 56.34 | 56.34 | 2,132.65 |
| घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | 166.88 | 1,537.66 | 2.87 | 7,859.04 | 9,566.45 | 32.61 | - | 9.24 | 41.85 | 9,608.30 |
| **निवल** | **11,62,182.64** | **-** | **12,424.40** | **2,15,804.42** | **14,012.39** | **23,582.24** | **14,28,006.09** | **19,728.93** | **5,028.44** | **28,682.01** | **53,439.38** | **14,81,445.47** |

* इसमें एलआईसीआरए @ अधिविदव्य शामिल है।

## पिछला वित्त वर्ष

(₹ करोड़ में)

| निवेशों की संरचना | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | संपूर्ण बैंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियाँ | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | शेयर | डिबेंचर व बॉण्ड | अनुषंगियाँ एवं/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | अनुषंगियाँ एवं/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | कुल निवेश |
| **परिपक्वता तक धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 7,62,084.20 | - | 8.00 | 33,209.70 | 5,668.04 | 929.11 | 8,01,899.06 | 643.79 | 4,768.16 | 133.93 | 5,545.88 | 8,07,444.93 |
| घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान | - | - | 8.00 | - | 2.87 | - | 10.87 | - | - | - | - | 10.87 |
| निवल | **7,62,084.20** | **-** | **-** | **33,209.70** | **5,665.17** | **929.11** | **8,01,888.19** | **643.79** | **4,768.16** | **133.93** | **5,545.88** | **8,07,434.06** |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 2,93,106.80 | - | 9,531.98 | 1,79,762.47 | 7,810.00 | 22,046.33 | 5,12,257.58 | 17,316.05 | - | 24,599.48 | 41,915.53 | 5,54,173.11 |
| घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान | - | - | 1,717.70 | 4,083.56 | - | 4,335.10 | 10,136.37 | 13.50 | - | 16.84 | 30.34 | 10,166.71 |
| **निवल** | **293,106.80** | **-** | **7,814.28** | **1,76,158.31** | **7,810.00** | **17,711.22** | **5,02,121.21** | **17,302.55** | **-** | **24,582.64** | **41,885.19** | **5,44,006.40** |
| **ट्रेडिंग के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 97.89 | - | 169.54 | - | - | - | 267.43 | - | - | - | - | 267.43 |
| घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान | 0.25 | - | 2.44 | - | - | - | 2.69 | - | - | - | - | 2.69 |
| **निवल** | **97.64** | **-** | **167.10** | **-** | **-** | **-** | **264.74** | **-** | **-** | **-** | **-** | **264.74** |
| **कुल निवेश** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 10,55,288.89 | - | 9,709.52 | 2,12,972.17 | 13,478.04 | 22,975.44 | 13,14,424.06 | 17,959.84 | 4,768.16 | 24,733.41 | 47,461.41 | 13,61,885.47 |
| घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई)* के लिए प्रावधान | - | - | 1,502.24 | 3,604.16 | - | - | 5,106.40 | 13.50 | - | 16.84 | 30.34 | 5,136.74 |
| घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.25 | - | 225.90 | 479.40 | 2.87 | 4,335.11 | 5,043.53 | - | - | - | - | 5,043.53 |
| **निवल** | **10,55,288.64** | **-** | **7,981.38** | **2,08,888.61** | **13,475.17** | **18,640.33** | **13,04,274.13** | **17,946.34** | **4,768.16** | **24,716.57** | **47,431.07** | **13,51,705.20** |

* (इसमें एलआईसीआरए शामिल है)

₹2,14,612.86 करोड़ की प्रतिभूतियों (पिछले वर्ष ₹ ₹2,00,812.86 करोड़) को मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)/एनएससीसीएल/एमसीएक्स/एनएसईआईएल/ बीएसई के पास प्रतिभूति निपटान के लिए रखा गया।

i. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित संस्थाओं में अतिरिक्त पूंजी लगाई:

- जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था) में ₹9.48 करोड़।

  (पूंजी लगाने के बाद भी एसबीआई की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है)
- बैंक एसबीआई इंडोनेशिया पीटी (विदेशी बैंक अनुषंगी) ₹341.26 करोड़

  (बैंक की हिस्सेदारी 99.00% से बढ़ कर 99.34% हो गई)

ii. वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफ़एस) की अधिसूचना डीओ. संख्या. 3/9/2020-आरआरबी दिनांक 21 फरवरी 2022 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित ग्रामीण बैंक में अतिरिक्त पूंजी लगाई। पूंजी लगाने के बाद बैंक के हित (स्टेक) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (₹0.46 करोड़),

मध्यांचल ग्रामीण बैंक (₹198.59 करोड़),

नागालैंड ग्रामीण बैंक (₹2.36 करोड़),

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (₹38.84 करोड़)

iii. बैंक ने 10.03.2022 को निम्नलिखित 4 ग्रामीण बैंकों में अपने हिस्से की अतिरिक्त पूंजी लगाई जिसे अब शेयर पूंजी जमा खाते में रखा गया है।

इलाकाई देहाती बैंक (₹34.92 करोड़),

झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (₹1.59 करोड़),

मिज़ोरम ग्रामीण बैंक (₹11.82 करोड़),

उत्कल ग्रामीण बैंक (₹239.16 करोड़)

## ख. निवेशों पर मूल्यह्रास तथा निवेश घटते-बढ़ते आरक्षित के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव

### i. निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार चढ़ाव

(₹ करोड़ में )

| विवरण | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| क) | वर्ष के आरंभ में अधिशेष | 9,198.25 | 9,580.95 |
| ख) | जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 3,440.10 | 3,759.46 |
| ग) | घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान | - | 9.29 |
| घ) | घटा/(जमा): विदेशी मुद्रा पुन्र्मूल्यांकन समायोजन | 2.00 | 17.06 |
| ङ) | घटाएँ: वर्ष के दौरानअपलेखन/अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन | 1,815.13 | 4,149.93 |
| च) | वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष | 10,825.22 | 9,198.25 |

### ii. घटते-बढ़ते आरक्षित में उतार चढ़ाव

(₹ करोड़ में )

| विवरण | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| क) | अथ शेष | 3,048.08 | 1,119.88 |
| | जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरित की गई राशि | 4,647.87 | 1,928.20 |
| | घटाएँ: आहरण | -- | -- |
| | अंतिम शेष | 7,695.95 | 3,048.08 |
| iii. | एएफ़एस तथा एचएफ़टी/चालू श्रेणी में निवेश का अंतिम शेष | 6,00,672.40 | 5,44,271.14 |
| iv. | एएफ़एस तथा एचएफ़टी/चालू श्रेणी में निवेश13 के अंतिम शेष के प्रतिशत के रुप में आईएफ़आर में अंतिम शेष | 1.28% | 0.56% |

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या: आरबीआई/2017-2018/147 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अंतर्गत आरबीआई ने बैंकों को वर्ष 2018-19 से प्रभावी निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाने के लिए दिशानिर्देश दिए, ताकि जहाँ संभव हो तीन वर्ष की अवधि के भीतर वे अपने एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो से 2 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा सकें, भविष्य में प्रतिफल में वृद्धि से बचने के लिए पर्याप्त आरक्षिती सृजित कर सकें। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 तक निर्धारित स्तर पर निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति तैयार के लिए रोडमैप तैयार किया है।

### ग. एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण के मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

### घ. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

#### i. अलाभकारी नॉन एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| अथ शेष | 5,229.52 | 8,995.80 |
| वर्ष के दौरान बढ़ोतरी | 185.95 | 446.39 |
| वर्ष के दौरान घटोतरी | 3,138.76 | 4,212.67 |
| इति शेष | 2,276.71 | 5,229.52 |
| **रखे गए कुल प्रावधान** | **2,070.06** | **5,031.49** |

#### ii गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉनएसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात पिछला (नॉन-एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | निर्गमकर्ता | राशि | | निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा (राशि) | | "निम्न निवेश श्रेणी" वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)* | | "बिना रेटिंग वाली" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)* | | "असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| i | सरकारी क्षेत्र के उपक्रम | 49,804.97 | 67,194.64 | 33,542.80 | 49,960.71 | - | - | - | - | - | - |
| ii | वित्तीय संस्थाएँ | 1,41,044.49 | 1,28,609.88 | 82,006.85 | 99,053.50 | 345.07 | 2,753.21 | - | - | 70.00 | 70.00 |
| iii | बैंक | 21,850.25 | 17,146.96 | 12,503.45 | 8,084.82 | 2,173.31 | 3,294.33 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |
| iv | निजी कॉरपोरेट | 68,269.59 | 46,428.01 | 29,575.24 | 23,395.02 | 589.73 | 817.77 | 207.93 | - | 707.93 | - |
| v | अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम** | 19,043.70 | 18,246.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vi | अन्य | 30,990.78 | 28,970.89 | 2,638.17 | 2,223.99 | 5,072.38 | 2,845.99 | 17.31 | 33.03 | - | 6.65 |
| vii | मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित | 11,740.95 | 10,180.02 | - | - | -- | 0.45 | 56.34 | - | 56.34 | - |
| | **योग** | **3,19,262.83** | **2,96,416.56** | **1,60,266.51** | **1,82,718.04** | **8,180.49** | **9,710.85** | **192.52** | **56.65** | **745.21** | **100.27** |

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/ सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

### ड़. तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य पर)

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

**चालू वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि | 31 मार्च 2022 को शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| **रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ** | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 30,025.27 | 2,73,518.11 | 1,62,561.94 | 1,68,483.03 |
| ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | 4,377.46 | 8,663.34 | 5,824.90 | 8,663.34 |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ | - | - | - | - |
| **रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गईं प्रतिभूतियाँ** | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 44.03 | 1,89,095.58 | 1,00,304.84 | 60,888.22 |
| ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | - | - | - | - |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ | - | - | - | - |

**पिछला वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि | 31 मार्च 2022 को शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| **रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ** | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 26,187.27 | 2,17,557.59 | 81,383.31 | 1,76,756.95 |
| ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | 7,154.09 | 9,332.03 | 8,989.67 | 7,154.09 |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ | - | - | - | - |
| **रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी प्रतिभूतियाँ** | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | - | 2,40,000.00 | 1,03,424.17 | 46,179.93 |
| ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | - | 5,597.89 | 737.93 | - |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ | - | - | - | - |

## 18.4. आस्ति गुणवत्ता

### क. अग्रिमों तथा रखे गए प्रावधानों का वर्गीकरण

**चालू वर्ष**

(₹ करोड़ में)

| | मानक अग्रिम | अवमानक अग्रिम | संदिग्ध अग्रिम | हानि अग्रिम | अवर्जक अग्रिम | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए** | | | | | | |
| ए. अथ शेष | 24,13,004.26 | 19,590.89 | 81,767.26 | 25,030.87 | 1,26,389.02 | 25,39,393.28 |
| ब. जोड़ेः वर्ष के दौराल बढ़ोतरी | | | | | 25,021.23 | 3,18,664.51 |
| स. घटाएं : वर्ष के दौरान कमी* | | | | | 39,386.88 | 39,386.88 |
| **इतिशेष (अ+ब+स)** | **27,06,647.54** | **15,453.17** | **68,592.40** | **27,977.80** | **1,12,023.37** | **28,18,670.91** |

* सकल एनपीए में कमी का कारणः

(₹ करोड़ में)

| | मानक अग्रिम | अवमानक अग्रिम | संदिग्ध अग्रिम | हानि अग्रिम | अवर्जक अग्रिम | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i) अपग्रेडेशन | | | | | 9,377.57 | 9,377.57 |
| ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) | | | | | 10,343.09 | 10,343.09 |
| iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते | | | | | - | - |
| iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते | | | | | 19,666.22 | 19,666.22 |
| **प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधानों का अथ शेष | 15,293.98 | 5,758.39 | 58,598.43 | 25,030.87 | 89,387.69 | 104,681.67 |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 14,142.96 | 18,821.58 |
| घटाएंः अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन / अपलेखन | | | | | 19,664.60 | 19,664.60 |
| **धारित प्रावधानों इति शंष** | **19,972.61** | **4,486.76** | **51,401.48** | **27,977.80** | **83,866.05** | **103,838.65** |
| | | | | | | |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| अथ शेष | | 13,832.50 | 22,977.22 | - | 36,809.72 | |
| जोड़े- वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (नया एनपीए) | | | | | 10,878.27 | |
| घटाएं- वर्ष के दौरान कमी | | | | | 19,722.28 | |
| **इति शेष** | | **10,966.41** | **16,999.30** | **-** | **27,965.71** | |
| निवल एनपीए की गणना के लिए रू. 191.61 करोड़ के प्रावधानों को घटाया गया है | | | | | | |

**Previous Year**

(₹ करोड़ में)

| | मानक अग्रिम | अवमानक अग्रिम | संदिग्ध अग्रिम | हानि अग्रिम | अवर्जक अग्रिम | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए** | | | | | | |
| ए. अथ शेष | 22,73,752.92 | 35,834.91 | 88,616.13 | 24,640.81 | 1,49,091.85 | 24,22,844.77 |
| ब. जोड़ेः वर्ष के दौराल बढ़ोतरी | | | | | 28,563.45 | 1,67,814.80 |
| स. घटाएं : वर्ष के दौरान कमी* | | | | | 51,266.28 | 51,266.28 |
| **इतिशेष (अ+ब+स)** | **24,13,004.26** | **19,590.89** | **81,767.26** | **25,030.87** | **1,26,389.02** | **25,39,393.28** |
| * सकल एनपीए में कमी का कारणः | | | | | | |
| i) अपग्रेडेशन | | | | | 4,250.89 | 4,250.89 |
| ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोढ़कर) | | | | | 12,613.19 | 12,613.19 |
| iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते | | | | | - | - |
| iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते | | | | | 34,402.20 | 34,402.20 |
| **प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधानों का अथ शेष | 11,544.24 | 7,889.78 | 64,498.35 | 24,640.81 | 97,028.94 | 1,08,573.18 |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 27,269.95 | 31,019.69 |
| घटाएंः अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन / अपलेखन | | | | | 34,911.20 | 34,911.20 |
| **धारित प्रावधानों इति शेंष** | **15,293.98** | **5,758.39** | **58,598.43** | **25,030.87** | **89,387.69** | **1,04,681.67** |
| | | | | | | |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| अथ शेष | | 27,945.13 | 24,117.78 | - | 51,871.30 | |
| जोड़े- वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (नया एनपीए) | | | | | 1,293.50 | |
| घटाएं- वर्ष के दौरान कमी | | | | | 16,355.08 | |
| **इति शेष** | | **13,832.50** | **22,977.22** | **-** | **36,809.72** | |
| निवल एनपीए की गणना के लिए रू. 191.61 करोड़ के प्रावधानों को घटाया गया है | | | | | | |

**अस्थिर प्रावधान:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| अथ शेष | 193.75 | 193.75 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | - | - |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान निकासी की गई राशि | - | - |
| अस्थिर प्रावधानों का इति शेष | 193.75 | 193.75 |

**तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियाँ:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष | - | - |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते | - | - |
| घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली | - | - |
| इतिशेष | - | - |

**आस्ति गुणता अनुपात:**

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए | 3.97% | 4.98% |
| निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए | 1.02% | 1.50% |
| एयूसीए सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) | 90.20% | 87.75% |
| एयूसीए के बिना प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) | 75.04% | 70.88% |

## ख. खंडवार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | खंड | चालू वर्ष | | | पिछला वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस खंड में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का % | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस खंड में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का % |
| **अ** | **प्राथमिकता खंड** | | | | | | |
| 1 | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 2,26,323.87 | 30,281.87 | 13.38 | 2,12,818.77 | 32,392.47 | 15.22 |
| 2 | प्राथमिकता खंड में उधारी के लिए पात्र उद्योग | 1,28,015.22 | 10,832.34 | 8.46 | 92,993.76 | 11,206.95 | 12.05 |
| 3 | सेवाएँ | 1,53,385.75 | 9,989.11 | 6.51 | 1,22,088.06 | 10,198.53 | 8.35 |
| 4 | व्यक्तिक ऋण | 1,87,896.41 | 2,158.71 | 1.15 | 1,71,541.16 | 2,352.84 | 1.37 |
| | **उप-योग (अ)** | **6,95,621.25** | **53,262.03** | **7.66** | **5,99,441.75** | **56,150.79** | **9.37** |
| **ब** | **गैर-प्राथमिकता क्षेत्र** | | | | | | |
| 1 | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 2,350.56 | 197.83 | 8.42 | 1,562.08 | 205.85 | 13.18 |
| 2 | उद्योग | 6,93,310.91 | 40,015.00 | 5.77 | 6,78,089.82 | 47,770.41 | 7.04 |
| 3 | सेवाएँ | 6,10,645.37 | 13,279.56 | 2.17 | 5,60,186.39 | 17,636.56 | 3.15 |
| 4 | व्यक्तिक ऋण | 8,16,742.82 | 5,268.95 | 0.65 | 7,00,113.23 | 4,625.41 | 0.66 |
| | **उप-योग (ब)** | **21,23,049.66** | **58,761.34** | **2.77** | **19,39,951.52** | **70,238.23** | **3.62** |
| **स** | **कुल (अ+ब)** | **28,18,670.91** | **1,12,023.37** | **3.97** | **25,39,393.27** | **1,26,389.02** | **4.98** |

### ग. विदेश में आस्तियाँ, एनपीए तथा राजस्व

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | चालू वर्ष | पिछला |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल आस्तियाँ | 5,31,255.45 | 4,77,577.94 |
| 2 | कुल एनपीए (सकल) | 2,264.82 | 2,426.10 |
| 3 | कुल राजस्व | 9,279.41 | 9,918.98 |

### घ. समाधान योजना तथा पुनर्संरचना:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार अग्रिमों की पुनर्संरचना

| समाधान योजना तथा पुनर्संरचना की शर्तों के अंतर्गत आस्तियों का वर्गीकरण | चालू वित्त वर्ष | | पिछला वित्त वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | उधारकर्ताओं की संख्या | बकाया राशि (₹ करोड़ में) | उधारकर्ताओं की संख्या | बकाया राशि (₹ करोड़ में) |
| मानक | 2,224 | 1,237 | 4,667 | 1,780 |
| अवमानक | 207 | 71 | 317 | 339 |
| संदिग्ध | 2,084 | 4,549 | 745 | 4097 |
| **कुल** | **4,515** | **5,857** | **5,729** | **6,216** |

ii. पुनर्संरचना प्रक्रिया के दौरान ऋण से इक्विटी में परिवर्तन के कारण शेयरों का अधिग्रहण:

पुनर्संरचना प्रक्रिया के दौरान ऋण से इक्विटी में परिवर्तन के माध्यम से इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण से पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र, परा बैंकिंग गतिविधियों तथा अंतरा समूह एक्सपोज़र के संबंध में निर्धारित विनियामक सीमा/प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है।

iii. एमएसएमई पुनर्संरचना:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसार पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है:

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| पुनर्संरचित खातों की संख्या | 96,464 | 93,573 |
| समग्र बकाया (करोड़ ₹ में) | 8,877.10 | 6,035.93 |

### ड़. आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानी में विचलन:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019, में दी गई शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पयविक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

### च. आरबीआई के परिपत्र संख्या डीबीआर. एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/ 2021-22 दिनांक 24 सितंबर 2021 के अनुसार ऋण खातों (एसएमए व एनपीए) के अंतरण का प्रकटन

i) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित अनर्जक खातों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

| क्र. | विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरिती | अन्य अंतरीतियों को |
|---|---|---|---|---|
| क. | खातों की संख्या | 23 | 16 | - |
| ख. | अंतरित ऋण की समग्र बकाया मूल राशि (करोड़ ₹ में) | 3,239.91 | 497.88 | - |
| ग. | अंतरित ऋण की भारित औसत अवशिष्ट अवधि (वर्ष) | 1.14 | - | - |
| घ. | अंतरित ऋण का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) (करोड़ ₹ में) | 115.27 | 196.61 | - |
| ड़. | समग्र प्रतिफल (करोड़ ₹ में) | 1,119.14 | 271.30 | - |
| च. | पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली (करोड़ ₹ में) | 29.12 | - | - |

प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को एनपीए की बिक्री पर ₹ 429.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 246.67 करोड़) के अतिरिक्त प्रावधान को लाभ और हानि खाते में लेखा किया गया है।

प्रतिभूति रसीदों के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसलिए 31.03.2022 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूति रसीदों के लिए दी गई रेटिंग का बही मूल्य शून्य है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूति रसीदों के लिए ₹ 7,859.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ii) बैंक ने किसी विशेष उल्लेखित खाते तथा चूक न किए गए ऋण का अंतरण नहीं किया है।

iii) बैंक ने किसी तनावग्रस्त खाते का अधिग्रहण नहीं किया।

iv) बैंक ने ऋण जो चूक में नहीं हैं उनके ऋण एक्सपोजर के अंतर्गत प्रत्यक्ष समनुदेशन रूट के अंतर्गत एनबीएफ़सी/एचएफ़सी/एमएफ़आई से मानक आस्तियों की खरीद की। आरईएचबीयू ने केवल प्रत्याभूत आस्तियों (आवास ऋण) की खरीद की जबकि एसएमई तथा एबीयू ने प्रत्याभूत तथा अप्रत्याभूत दोनों प्रकार के ऋणों की खरीद की।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहित चूक रहित ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | धारा 3 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं से | एआरसी से |
|---|---|---|---|
| i. | अधिग्रहण किए गए ऋण की समग्र राशि: | | |
| | प्रत्याभूत ऋण | 458.47 | - |
| | अप्रत्याभूत ऋण | 2,627.69 | - |
| ii. | भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में) | 1.50 | - |
| iii. | उद्भवी (बैंक) द्वारा भारित औसत धारण अवधि | | - |
| | प्रत्याभूत ऋण | 0.50 वर्ष | |
| | अप्रत्याभूत ऋण | 0.25 वर्ष | |
| iv. | प्रवर्तक द्वारा लाभार्थी आर्थिक हितों का प्रतिधारण | | - |
| | प्रत्याभूत ऋण | 10.00% | |
| | अप्रत्याभूत ऋण | 12.50% | |
| v. | मूर्त प्रतिभूति कवरेज | 149.00% से 111.93% | - |

अधिग्रहित किए गए ऋण रेट नहीं किए गए हैं क्योंकि ये कॉरपोरेट ऋण नहीं हैं।

## छ. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ तथा किए गए प्रावधान:

(करोड़ रुपए में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या | 4192 | 5724 |
| धोखाधड़ियों में शामिल राशि (करोड़ ₹ में) | 7,100.65 | 10,085.92 |
| इस प्रकार की धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि | 7,100.65 | 10,085.92 |
| वर्षांत में 'अन्य आरक्षितियाँ' से डेबिट गैर-परिशोधित प्रावधानों की राशि (करोड़ ₹ में) | शून्य | शून्य |

### ज. कोविड-19 संबंधित तनाव का समाधान:

आरबीआई परिपत्र डीओआर. सं. बीवी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 (समाधान फ्रेमवर्क 1.0) तथा डीओआर. एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 (समाधान फ्रेमवर्क 2.0) के संदर्भ में 31 मार्च, 2022 को समाधान योजना का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

| ऋणी का प्रकार | (क) समाधान योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों का कुल एक्सपोजर -पिछले छमाही की समाप्ति पर स्थिति | (ख) (क) में से कुल ऋण, जो छमाही में एनपीए हो गया | (ग) (क) में से छमाही में बट्टे खाते में डाली गई राशि | (घ) (क) में से छमाही में ऋणकर्ताओं द्वारा चुकाई गई राशि | (ङ) समाधान योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों का कुल एक्सपोजर -पिछली छमाही की समाप्ति पर स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिक ऋण | 15,541 | 143 | 0.14 | 182 | 15,498 |
| कॉरपोरेट व्यक्ति | 17,354 | 1,650 | 0.14 | 2307 | 15,462 |
| इनमें से, एमएसएमई | 12,274 | 720 | 0.14 | 883 | 12,446 |
| अन्य | - | - | - | - | - |
| कुल | 32,895 | 1,793 | 0.28 | 2,624 | 30,960 |

* समाधान फ्रेमवर्क 1.0 के अंतर्गत सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के दौरान लागू की गई पुर्नसंरचना शामिल है।

## 18.5 एक्सपोज़र (ऋण-जोखिम)

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है।

### क) स्थावर संपदा

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| I | **प्रत्यक्ष एक्सपोजर** | | |
| | i) **आवासीय बंधक** | | |
| | ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित ऋण। | 4,59,838.80 | 4,06,179.32 |
| | जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसंख्या >= 10लाख) में 35 लाख रुपए (पिछला वर्ष 35 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 25 लाख रुपए (पिछला वर्ष 25 लाख रुपए) है। | 2,07,916.65 | 2,09,028.90 |
| | ii) **वाणिज्यिक स्थावर संपदा** | | |
| | वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर- निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है। | 68,351.76 | 56,343.00 |
| | iii) **बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर:** | | |
| | क) आवासीय | - | - |
| | ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा | - | - |
| II | **अप्रत्यक्ष एक्सपोजर** | | |
| | राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर | 96,802.79 | 1,13,704.91 |
| | **स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर** | **6,24,993.35** | **5,76,227.23** |

## ख) पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1) | इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कॉरपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है। | 14,566.26 | 7,112.65 |
| 2) | शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम | 131.98 | 66.63 |
| 3) | किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है। | - | - |
| 4) | किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है। | 0.38 | - |
| 5) | शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ | 1,569.15 | 725.23 |
| 6) | संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉरपोरेटों को शेयरों/बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण। | - | - |
| 7) | अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण। | - | - |
| 8) | शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार। | - | - |
| 9) | शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण | - | - |
| 10) | उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) | 4,325.98 | 3,463.62 |
| | **एक्सपोजर पूंजी बाजार में कुल** | **20,593.75** | **11,368.13** |

## ग) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, बैंक के देशवार एक्सपोजर का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है।

(₹ करोड़ में )

| जोखिम श्रेणी | निवल निधिकृत जोखिम | | किया गया प्रावधान | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार |
| नगण्य | 1,782.72 | 5,586.26 | निरंक | निरंक |
| बहुत कम | 2,22,431.21 | 2,02,094.63 | 165.12 | 148.51 |
| कम | 27,346.84 | 16,539.05 | निरंक | निरंक |
| मध्यम | 29,467.82 | 9,767.77 | निरंक | निरंक |
| अधिक | 23,470.66 | 26,470.88 | निरंक | निरंक |
| अत्यधिक | 5,402.11 | 8,586.29 | निरंक | निरंक |
| प्रतिबंधित | 6,160.87 | 2,426.80 | निरंक | निरंक |
| **कुल** | **3,16,062.23** | **2,71,471.68** | **165.12** | **148.51** |

यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अत: यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

### घ) अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|
| क) | बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम | 7,44,594.25 | 5,92,821.83 |
| i. | इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया | निरंक | निरंक |
| ii. | इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार) | निरंक | निरंक |

### ङ) फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर:

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर 20,136.45 करोड़ रुपए (पिछला वर्ष: ₹ 15,113.97 करोड़) है।

### च) अंतरा-समूह एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि | 24,431.05 | 41,268.96 |
| शीर्ष-20 अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि | 24,430.71 | 41,263.80 |
| ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत | 0.54% | 1.01% |
| अंतरा-समूह एक्सपोजर सीमा के उल्लंघन तथा उस पर कार्रवाई का विवरण | निरंक | निरंक |

### छ) (अनहेड्ज) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

- 31 मार्च 2022 के अनुसार ₹ 145.37 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹ 116.40 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए रखी गई है।
- मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आबंरित पूंजी ₹72.90 करोड़ (पिछला वर्ष ₹121.71 करोड़)।

### ज) बैंक द्वारा एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकशील सीमाओं के भीतर ही एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता एक्सपोजर उठाया है।

## 18.5.1. जमा राशियों, अग्रिमों, जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

### क. जमा राशियों का संकेंद्रण

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ (करोड़ ₹ में) | 1,61,936.62 | 1,36,577.00 |
| बैंक की कुल जमाराशियों में बीस जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत | 4.00% | 3.71% |

### ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण राशि (करोड़ ₹ में) | 3,46,209.56 | 3,15,554.46 |
| बैंक की कुल जमाराशियों में बीस ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत | 12.28% | 12.43% |

### ग. ऋण-जोखिमों का संकेंद्रण

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| शीर्ष बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम (करोड़ ₹ में) | 4,99,542.80 | 4,35,690.45 |
| बैंक के कुल ऋण-जोखिम में सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत | 11.05% | 10.63% |

### घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| कुल सकल अनर्जक आस्तियों में से शीर्ष बीस सबसे बड़े अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम (करोड़ ₹ में) | 29,921.64 | 40,905.49 |
| कुल सकल अनर्जक आस्तियों में शीर्ष बीस सबसे बड़े अनर्जक आस्ति खातों का प्रतिशत | 27.26% | 33.00% |

## 18.6. डेरिवेटिव

### क. वायदा दर करार (एफआरए)/ ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| i) | स्वैप करारों की आनुमानिक मुलराशि# | 5,14,809.90 | 2,75,128.10 |
| ii) | करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियाँ | 2,537.80 | 4,095.38 |
| iii) | स्वैप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक | 453.97 | Nil |
| iv) | स्वैप से उद्भूत ऋण-जोखिम का संकेंद्रण | महत्त्वपूर्ण नहीं | महत्त्वपूर्ण नहीं |
| v) | स्वैप -बही का उचित मूल्य | 1,532.87 | 3,894.26 |

#बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹ 37,265.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39,189.96 करोड़) की कुल राशि शामिल नही है।

31 मार्च 2022 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं: एसआएफआर

(₹ करोड़ में)

| लिखत | प्रकृति | संख्या | आनुमानिक मूलधन | आधार (बेचमार्क) | शर्तें |
|---|---|---|---|---|---|
| आईआरएस | हेजिंग | 299 | 48,544.51 | लिबोर | स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान |
| आईआरएस | हेजिंग | 1 | 193.27 | लिबोर | स्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त |
| आईआरएस | हेजिंग | 40 | 1,085.65 | अन्य | स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान |
| आईआरएस | हेजिंग | 14 | 1,735.65 | लिबोर | अस्थिर प्राप्त बनाम स्थिर भुगतान |
| आईआरएस | हेजिंग | 3 | 3,074.66 | सोफ़र | स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान |
| आईआरएस | हेजिंग | 2 | 1,515.85 | सोफ़र | अस्थिर प्राप्त बनाम स्थिर भुगतान |
| आईआरएस | हेजिंग | 117 | 48,405.19 | लिबोर | अस्थिर भुगतान बनाम स्थिर प्राप्त |
| आईआरएस | हेजिंग | 87 | 28,814.98 | लिबोर | स्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त |
| आईआरएस | हेजिंग | 33 | 20,577.66 | लिबोर | अस्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त |
| आईआरएस | हेजिंग | 3557 | 1,50,195.38 | मिबोर | स्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त |
| आईआरएस | हेजिंग | 4205 | 1,72,240.00 | मिबोर | अस्थिर भुगतान बनाम स्थिर प्राप्त |
| आईआरएस | हेजिंग | 3 | 795.82 | अन्य | स्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त |
| आईआरएस | हेजिंग | 12 | 13,630.58 | अन्य | अस्थिर भुगतान बनाम स्थिर प्राप्त |
| आईआरएस | हेजिंग | 24 | 16,192.98 | लिबोर | स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान |
| आईआरएस | हेजिंग | 3 | 1,538.59 | लिबोर | स्थिर प्राप्त बनाम स्थिर भुगतान |
| आईआरएस | हेजिंग | 24 | 6,253.97 | एसआएप | स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान |
| आईआरएस | हेजिंग | 2 | 15.16 | SOFR | अस्थिर प्राप्त बनाम स्थिर भुगतान |
| | **कुल** | | **5,14,809.90** | | |

## ख. बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलराशि (लिखत-वार) | | |
| | क) ब्याज दर फ्यूचर्स | निरंक | निरंक |
| | ख. भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियाँ | 3988.26 | 6,400.38 |
| 2 | 31 मार्च, 2021 को बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक मूलराशि (लिखत-वार) | | |
| | क. ब्याज दर फ्यूचर्स | निरंक | निरंक |
| | ख. भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियाँ | 501 | निरंक |
| 3 | बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है। (लिखत-वार) | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 4 | बाज़ार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है। (लिखत-वार) | लागू नहीं | लागू नहीं |

## ग. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र

गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

i. बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव, मुद्रा स्वैप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रॉस मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को इन उत्पादों का स्वैप प्रस्ताव, उनके निवेशों को हेज करने के लिए किया जाता है और बैंक ऐसे जोखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों की हेजिंग हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/ भारतीय रुपए में भी ऑप्शन्स की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमा और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है। बैंक आरबीआई द्वारा अनुमत गैर-सुपुर्दगीय ओपशंस तथा गैर-सुपुर्दगीय फॉरवर्ड में भी डील करता है।

ii. डेरिवेटिव लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी के मूल्य में संभावित प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही डेरिवेटिव लेनदेन में ऋण जोखिम भी शामिल है, अर्थात यदि प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में संभावित हानि उठानी पड़ सकती है। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लोस ट्रिगर, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, बैंकिंग संबंध अवधि, सीमाएं ग्राहक उपयुक्तता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरिवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है। देयताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के लिए समुचित सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार करता है।

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की निगरानी बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है। बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेन से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी करता है तथा इन जोखिमों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरिवेटिव के लिए लेखांकन-नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2020-21 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी): अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्यत: विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति और देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है।

vi. अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ किए गए हैं।

vii. डेरिवेटिव लेनदेन में स्वैप शामिल हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है। स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

viii. डेरिवेटिव सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक सहभागियों के साथ किए गए जिनके लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की गई हैं। डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को, मामला दर मामला आधार पर क्रेडिट स्वीकृति शर्तों के हिस्से के रूप में रखा जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है। डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए संपार्श्विक आवश्यकताएं मामला दर मामला आधार पर ऋण संस्वीकृति शर्तों के साथ निर्धारित की जाती हैं। ऐसी संपार्श्विक आवश्यकताओं को नेमी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कतिपय मामलों में जोखिम न्यूनीकरण उपाय के रूप में लेन-देनों को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास है।

**मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र:**

(₹ करोड़ में)

| मद | मुद्रा डेरिवेटिव | | ब्याज दर डेरिवेटिव | |
|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| (I) डेरिवेटिव | | | | |
| (आनुमानिक मूल राशि) | | | | |
| (क) हेजिंग के लिए | 17,269.22 | 18,858.30@ | 54,974.80 | 54,869.19# |
| (ख) क्रय-विक्रय के लिए* | 13,90,743.44 | 10,47,976.78 | 4,65,802.38 | 2,26,304.06 |
| (II) मार्क्ड टू मार्केट स्थिति | | | | |
| (क) आस्ति (+) | 9,219.37 | 9,451.37 | 2,537.80 | 4,095.38 |
| (ख) देयता (-) | 9,254.89 | 7,574.61 | 2,347.92 | 2,926.20 |
| (III) ऋण जोखिम | 47,965.29 | 43,234.09 | 7,180.48 | 6,868.01 |
| (IV) ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव | | | | |
| (क) हेजिंग डेरिवेटिव पर | 17.63 | 0.25 | 1,513.11 | 309.95 |
| (ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव पर | 871.86 | 538.16 | 401.07 | 0.70 |
| (V) वर्ष के दौरान देखा गया अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01 | | | | |
| क) हेजिंग पर - | | | | |
| अधिकतम | 23.39 | 22.09 | 1,572.46 | 1,526.75 |
| न्यूनतम | 15.97 | 8.83 | 1,109.15 | 1,112.88 |
| (ख) क्रय-विक्रय पर - | | | | |
| अधिकतम | 938.43 | 5.47 | 512.07 | 1.67 |
| न्यूनतम | 516.20 | 0.85 | 23.91 | 0.70 |

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ किए गए स्वैप की ₹ 2003.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,156.47 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया है।

# बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 37265.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39,189.96 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए ₹ 403.87 करोड़ के मुद्रा डेरिवेटिव (पिछले वर्ष ₹ 2167.90) और ₹ 4,693.25 करोड़ के गैर-वितरणीय वायदा (पिछले वर्ष ₹ 296.13) शामिल नहीं हैं।

- 31 मार्च, 2022 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के बीच डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि ₹ 44,366.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 43,810.46 करोड़) है और 31 मार्च 2022 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव व्यापार की राशि ₹ 34,018.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10,331.69 करोड़) है।
- ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किंतु जहाँ 31 मार्च 2022 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बहीमूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 98,921.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 77,741.31 करोड़) है।

### घ. ऋण चूक स्वैप

बैंक किसी ऋण चूक स्वैप में शामिल नहीं हुआ है।

## 18.7 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

बैंक ने किसी मानक आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

## 18.8. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

बैंक ने कोई तुलन पत्र बाह्य विशेष प्रयोजन संस्था शुरू नहीं की।

## 18.9. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) को अंतरित की गई अदावी देयताएँ

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| डीईए निधी को अंतरित राशियों का प्रारंभिक अधिशेष | 3,636.41 | 3,387.65 |
| जमा : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि | 893.35 | 267.30 |
| घटा: दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि | 15.89 | 18.54 |
| डीईएएफ को अंतरित राशियों का इतिशेष | 4,513.87 | 3,636.41 |

## 18.10 शिकायतों पर प्रकटन

### क) बैंक द्वारा ग्राहकों एवं बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों तथा उनके निवारण की सार रूप में सूचना

| क्र. सं | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें** | | | |
| 1 | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 1,46,280 | 1,76,057 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 34,52,782 | 31,31,509 |
| 3 | वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या | 34,16,850 | 31,61,286 |
| | 3.1 इनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या | 93,618 | 1,20,191 |
| 4 | वर्ष के अंत में विचाराधीन/ लंबित शिकायतों की संख्या | 1,82,212 | 1,46,280 |
| **बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त बैंक द्वारा संधार्य शिकायतें** | | | |
| 5 | बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त बैंक द्वारा संधार्य शिकायतों की संख्या | 45,693@ | 58,956@ |
| | 5.1 क्रम 5 में से, बैंक के पक्ष में लोकपाल द्वारा अधिनिर्णित शिकायतों की संख्या | 35,297 | 54,680 |
| | 5.2 क्रम 5 में से, ऐसे शिकायतों की संख्या जिसका निपटान बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा समझौते/मध्यस्थता/ सलाह से किया गया | 8,664 | 12,024 |
| | 5.3 क्रम 5 में से, ऐसे शिकायतों की संख्या जिसका निपटान बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध अधिनिर्णय देकर किया गया | 1 | 6 |
| 6 | निर्धारित अवधि में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए को छोड़कर) | 0 | 0 |

# वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित शिकायतें जिनको वित्त वर्ष 2021-22 में आगे ले जाया गया, वे भी शामिल हैं।

नोट: संधार्य शिकायतों का आशय उन शिकायतों से है जो समन्वित बैंकिंग लोकपाल योजना 2021 (विगत में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006) में विशेषकर उल्लिखित हैं तथा योजना के अधीन शामिल हैं।

### ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त होने वाली शिकायतों के पाँच प्रमुख आधार

| शिकायतों के आधार, (अर्थात किस विषय से शिकायतें संबंधित हैं) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष के मुकाबले प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | क्र 5, में कितनी शिकायतें 30 से अधिक दिनों से लंबित हैं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **चालू वर्ष** | | | | | |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | 64,100 | 18,83,728 | 4.38 | 65,097 | 30,313 |
| आईएनबी/एमबी | 43,015 | 13,43,568 | 135.42 | 97,236 | 67,738 |
| लिया गया बैंक प्रभार | 4,016 | 55,280 | -11.53 | 3,766 | 3,410 |
| खातों का परिचालन | 3,459 | 24,529 | -24.02 | 8,339 | 3,127 |
| चेक बुक संबंधी | 660 | 20,432 | 67.98 | 1,694 | 1,056 |
| अन्य | 31,030 | 1,25,245 | -80.71 | 6,080 | 683 |
| **योग** | **1,46,280** | **34,52,782** | **10.26** | **1,82,212** | **1,06,327** |
| **पिछला वर्ष** | | | | | |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | 1,14,230 | 18,04,653 | -33.25 | 64,100 | 10,946 |
| आईएनबी/एमबी | 51,819 | 5,70,711 | -9.50 | 43,015 | 22,620 |
| लिया गया बैंक प्रभार | 667 | 62,482 | 48.99 | 4,016 | 361 |
| खातों का परिचालन | 585 | 32,285 | 80.05 | 3,459 | 683 |
| चेक बुक संबंधी | 73 | 12,163 | 167.55 | 660 | 96 |
| अन्य | 8,683 | 6,49,215 | 54.64 | 31,030 | 350 |
| **योग** | **1,76,057** | **31,31,509** | **-17.77** | **1,46,280** | **35,056** |

## 18.11 आरबीआई द्वारा लगाए गए अर्थदंडों का प्रकटीकरण

क) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) तथा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित अर्थदंड लगाया गया :-

i) बड़े ऋणों (क्रिसिल पोर्टल के माध्यम से) पर डाटा प्रस्तुत करते हुए डाटा शुद्धता एवं विश्वसनीयता के संबंध में सर्वोच्च सावधानी बरतना सुनिश्चित करने में असफलता के कारण आरबीआई ने 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान तहत ₹ 50 लाख (पचास लाख रूपए) का अर्थदंड लगाया।

ii) 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान 'भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं वाणिज्यिक बैंकों तथा चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग) दिशानिदेश 2016' में दिए गए दिशानिदेशों का अनुपालन न करने के लिए आरबीआई ने ₹ 1 करोड़ (एक करोड़ रुपए) का अर्थदंड लगाया।

iii) 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19 की उप धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आरबीआई ने ₹ 1 करोड़ (एक करोड़ रुपए) अर्थदंड लगाया।

ख) भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 तथा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2016 (एसजीएल की बाउंसिंग के लिए ) के अंतर्गत उल्लंघन के लिए कोई अर्थ दंड नहीं लगाया गया है।

ग) रिवर्स रेपो लेनदेन में कोई चूक नहीं की गई है।

## 18.12. अन्य प्रकटन :

### क) व्यवसाय अनुपात:

| क्र. सं | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| i. | कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत | 6.27% | 5.93% |
| ii. | कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत | 0.92% | 0.97% |
| iii. | जमाओं की कीमत | 3.83% | 4.20% |
| iv. | निवल ब्याज मार्जिन | 3.12% | 3.04% |
| v. | कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ | | 1.60% |
| vi. | आस्तियों पर प्रतिफल | 0.67% | 0.48% |
| vii. | प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा व अग्रिम मिलकर) (करोड़ ₹ में) | 25.74 | 23.73 |
| viii. | प्रति कर्मचारी व्यवसाय (हज़ार ₹ में) | 1292.72 | 828.35 |

### ख) बैंक-बीमा (बैंकाइन्शोरेंस) व्यवसाय

बीमा बुकिंग, एजेंसी तथा बैंकाइन्शोरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित फीस/दलाली

(₹ करोड़ में)

| कंपनी का नाम | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | 1,567.50 | 1,239.75 |
| एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. | 319.00 | 327.39 |
| एनटीयूसी और मनु लाइफ फाइनांसियल लि. | 1.27 | 0.83 |
| टोकियो मरीन और एसीई | 0.61 | 1.52 |
| यूनिट ट्रस्ट और एलआईसी | 0.01 | 0.22 |
| एआईए सिंगापुर | 0.04 | 0.06 |
| आइएफएएसटी | 0.43 | 0.17 |
| अविवा | 0.39 | - |
| **योग** | **1,889.25** | **1,569.94** |

### ग) मार्किटिंग व वितरण:

मार्किटिंग तथा वितरण कार्य के लिए प्राप्त फीस/पारिश्रमिक (बैंक-बीमा व्यवसाय को छोड़कर) का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

| कंपनी का नाम | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| एसबीआई म्यूचुअज फंड | 741.84 | 451.40 |
| एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड | 199.61 | 134.62 |
| राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नेशनल पेंशन सिस्टम) | 10.00 | 6.17 |
| एसबीआई कैप सिक्युरिटीस लिमिटेड. | 5.06 | 3.35 |
| अन्य म्यूचुअल फंड | 22.64 | 11.45 |
| अन्य (पीएमएस, बॉण्डस कॉरपोरेट एफ़डी इत्यादि ) | 2.55 | 0.96 |
| **कुल** | **981.70** | **607.95** |

### घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीदारी की है :-

(करोड़ ₹ में)

| श्रेणी | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम | 5,792.00 | 37,405.25 |
| पीएसएलसी कृषि | 10,192.00 | 14,883.50 |
| पीएसएलसी सामान्य | 58,361.75 | 10,050.00 |
| पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान | 63,654.25 | 63,442.50 |
| **योग** | **1,38,000.00** | **1,25,781.25** |

31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

### ङ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ ₹ में)

| लाभ एवं हानि खाते को डेबिट किए गए प्रावधान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| कर हेतु प्रावधान | | |
| - चालू कर | 11,427.30 | 10,760.88 |
| - आस्थगित कर | 318.57 | (-)3,630.23 |
| - आयकार का प्रतिलेखन/अतिरिक्त प्रावधान | - | - |
| निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | 3,440.10 | 3,014.50 |
| अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान | 14,142.96 | 27,269.95 |
| पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान | (-)56.11 | (-) 25.60 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | 4,677.04 | 3,789.78 |
| अन्य प्रावधान | 2,248.14 | 9,964.40 |
| **योग** | **36,198.00** | **51,143.68** |

### च) आईएफ़आरएस कवरेज का कार्यान्वयन भारतीय लेखा मानक (भा. एएस)

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के अंतर्गत आगामी सूचना तक बैंकों में एएस कार्यान्वयन स्थागित कर दिया है। तथापि प्रत्येक छमाही की समाप्ति पर बैंक प्रोफोर्म भा. एएस विवरण आरबीआई को प्रस्तुत करना होता है। तदनुसार, बैंक प्रत्येक छमाही की समाप्ति पर प्रोफोर्म भा. एएस विवरण तैयार करता है तथा बैंक में लेखा मानक (एएस) के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए प्रबंध निदेशक (तनावग्रस्त आस्तियाँ, जोखिम एवं अनुपालन) की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात आरबीआई को प्रस्तुत करता है।

### छ) डीआईसीजीएस बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| डीआईसीजीएस बीमा प्रीमियम का भुगतान | 4,006.14 | 3,573.92 |
| डीआईसीजीएस बीमा प्रीमियम भुगतान का बकाया | - | - |

### ज) बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी के कारण खर्च के परिशोधन पर प्रकटन

11वें द्विपक्षीय समझौते तथा संयुक्त नोट दिनांक 11 नवंबर 2020 के अंतर्गत बैंक कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसरण में बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा में ₹ 7,418.39 करोड़ की संपूर्ण अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया है। इसे एक अपवादात्मक मद के रूप में प्रकट किया गया है।

पारिवारिक पेंशन योजना के संबंध में तुलन पत्र में कोई अपरिशोधित खर्च नहीं है।

## 18.13 लेखा मानकों के अनुसार आवश्यकताएं का प्रकटीकरण

### क) "लेखांकन मानक - 5: अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

- वर्ष के दौरान, कोई सामग्री पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे ।
- पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

### ख) लेखा मानक - 15 "कर्मचारी हितलाभ"

**i. नियत हितलाभ योजनाएँ**

1. कर्मचारी पेंशन तथा ग्रेच्युटी योजना

नीचे दी गई तालिका, बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में )

| विवरण | पेंशन योजना | | ग्रेच्युटी योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष |
| **नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन** | | | | |
| आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व | 1,25,806.37 | 1,09,830.37 | 13,447.17 | 12,852.56 |
| वर्तमान सेवा लागत | 914.92 | 970.09 | 466.44 | 440.06 |
| ब्याज लागत | 8,680.64 | 7,501.41 | 917.10 | 879.12 |
| विगत सेवा लागत (निहित लाभ) | 11,124.14 | - | - | - |
| बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ | 9,789.06 | 15,822.32 | 42.20 | 1,185.34 |
| प्रदत्त लाभ | (4,926.71) | (3,475.67) | (2,158.69) | (1,909.91) |
| बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान | (5,263.43) | (4,842.15) | - | - |
| 31 मार्च 2022 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व | 1,46,124.99 | 1,25,806.37 | 12,714.22 | 13,447.17 |
| **योजना आस्तियों में परिवर्तन** | | | | |
| 1 अप्रैल 2021 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य | 1,06,445.86 | 97,458.52 | 10,950.23 | 10,570.95 |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 7,344.76 | 6,656.42 | 746.81 | 723.05 |
| नियोक्ता द्वारा अंशदान | 22,163.77 | 2,100.68 | 1,463.56 | 1,234.77 |
| कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान | - | - | - | - |
| प्रदत्त हितलाभ | (4,926.71) | (3,475.67) | (2,158.69) | (1,909.91) |
| योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (436.95) | 3,705.91 | (76.85) | 331.37 |
| 31 मार्च 2022 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष | 1,30,590.73 | 1,06,445.86 | 10,925.06 | 10,950.23 |
| **दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान** | | | | |
| 31 मार्च 2022 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1,46,124.99 | 1,25,806.37 | 12,714.22 | 13,447.17 |
| 31 मार्च 2022 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 1,30,590.73 | 1,06,445.86 | 10,925.06 | 10,950.23 |
| कमी/(अधिशेष) | 15,534.26 | 19,360.51 | 1,789.16 | 2,496.94 |
| लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष | - | - | - | - |
| लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष | - | - | - | - |
| निवल देयता/(आस्ति) | 15,534.26 | 19,360.51 | 1,789.16 | 2,496.94 |

| विवरण | पेंशन योजना | | ग्रेच्युटी योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष |
| **तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि** | | | | |
| देयताएँ | 1,46,124.99 | 1,25,806.37 | 12,714.22 | 13,447.17 |
| आस्तियाँ | 1,30,590.73 | 1,06,445.86 | 10,925.06 | 10,950.23 |
| तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) | 15,534.26 | 19,360.51 | 1,789.16 | 2,496.94 |
| लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष | - | - | - | - |
| लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष | - | - | - | - |
| कुल देयताएँ/(आस्तियाँ) | 15,534.26 | 19,360.51 | 1,789.16 | 2,496.94 |
| **लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत** | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 914.92 | 970.09 | 466.44 | 440.06 |
| ब्याज लागत | 8,680.64 | 7,501.41 | 917.10 | 879.12 |
| योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | (7,344.76) | (6,656.42) | (746.81) | (723.05) |
| कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान | - | - | - | - |
| लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत | - | - | - | - |
| लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ) | 11,124.14 | - | - | - |
| लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ) | 10,226.01 | 12,116.41 | 119.05 | 853.97 |
| अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत | 23,600.95 | 13,931.49 | 755.78 | 1,450.10 |
| **योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान** | | | | |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 7,344.76 | 6,656.42 | 746.81 | 723.05 |
| योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (436.95) | 3,705.91 | (76.85) | 331.37 |
| योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ | 6,907.81 | 10,362.33 | 669.96 | 1,054.42 |
| **तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान** | | | | |
| 1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति) | 19,360.51 | 12,371.85 | 2,496.94 | 2,281.61 |
| लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय | 23,600.95 | 13,931.49 | 755.78 | 1,450.10 |
| बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त | (5,263.43) | (4,842.15) | - | - |
| अन्य प्रावधानों को डेबिट | - | - | - | - |
| आरक्षित निधियों में शामिल | - | - | - | - |
| नियोक्ता का अंशदान | (22,163.77) | (2,100.68) | (1,463.56) | (1,234.77) |
| तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति) | 15,534.26 | 19,360.51 | 1,789.16 | 2,496.94 |

**31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियां निम्नानुसार हैं :**

| आस्तियों की श्रेणी | पेंशन निधि | ग्रेच्युटी निधि |
|---|---|---|
| | योजना आस्तियों का % | योजना आस्तियों का % |
| केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ | 19.72% | 19.23% |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ | 34.84% | 37.02% |
| ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा | 31.50% | 30.46% |
| ईटीएफ़ तथा म्यूचुअल फंड | 10.26% | 10.23% |
| बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां | 1.31% | 1.42% |
| अन्य | 2.37% | 1.64% |
| **योग** | **100.00%** | **100.00%** |

**प्रमुख बीमांकिक आकलन**

| विवरण | पेंशन योजनाएँ | |
|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| बट्टा दर | 7.35% | 6.90% |
| योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर | 7.35% | 6.90% |
| वेतन बढ़ोतरी दर | 5.80% | 5.60% |
| पेंशन बढ़ोतरी दर | 1.60% | 1.20% |
| पलायन दर | 2.00% | 2.00% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु तालिका | आईएएलएम 2012-14 (अर्बन) | आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट |
| रोजगार के बाद मृत्यु तालिका | आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट | IALM (2006-08) अल्टीमेट |

**प्रमुख बीमांकिक आकलन**

| विवरण | ग्रेच्युटी योजनाएँ | |
|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| बट्टा दर | 7.27% | 6.82% |
| योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर | 7.27% | 6.82% |
| वेतन बढ़ोतरी | 5.80% | 5.60% |
| पलायन दर | 2.00% | 2.00% |
| मृत्यु तालिका | आईएएलएम 2012-14 (अर्बन) | आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट |

**योजना में अधिशेष / कमी**

**ग्रेच्युटी योजना**

(₹ करोड़ में )

| तुलन-पत्र में ली गई राशि | 31-03-2018 को समाप्त वर्ष | 31-03-2019 को समाप्त वर्ष | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष | 31-03-2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में देयता | 12,872.60 | 12,189.05 | 12,852.56 | 13,447.17 | 12,714.22 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 9,140.76 | 10,326.00 | 10,570.95 | 10,950.23 | 10,925.06 |
| अंतर | 3,731.84 | 1,863.05 | 2,281.61 | 2,496.94 | 1,789.16 |
| लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत | 2,707.50 | - | - | - | - |
| लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता | - | - | - | - | - |
| तुलन-पत्र में ली गई राशि | 1,024.34 | 1,863.05 | 2,281.61 | 2,496.94 | 1,789.16 |

**समायोजन**

(₹ करोड़ में)

| तुलन - पत्र में ली गई राशि : | 31-03-2018 को समाप्त वर्ष | 31-03-2019 को समाप्त वर्ष | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष | 31-03-2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना देयता पर (लाभ)/ हानि | 399.62 | (212.11) | 382.17 | 1,053.04 | 366.15 |
| योजना आस्ति (हानि)/ लाभ | (25.96) | 102.16 | 249.84 | 331.37 | (76.85) |

**योजना में अधिशेष / कमी**

**पेंशन**

(₹ करोड़ में)

| तुलन पत्र में ली गई राशि | 31-03-2018 को समाप्त वर्ष | 31-03-2019 को समाप्त वर्ष | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष | 31-03-2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में देयता | 87,786.56 | 95,362.15 | 1,09,830.37 | 1,25,806.37 | 1,46,124.99 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 85,249.60 | 90,399.61 | 97,458.52 | 1,06,445.86 | 1,30,590.73 |
| अंतर | 2,536.96 | 4,962.54 | 12,371.85 | 19,360.51 | 15,534.26 |
| लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत | - | - | - | - | - |
| लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता | - | - | - | - | - |
| तुलन-पत्र में ली गई राशि | 2,536.96 | 4,962.54 | 12,371.85 | 19,360.51 | 15,534.26 |

**एक्सपिरियंस समायोजन**

(₹ करोड़ में)

| तुलन पव में ली गई राशि | 31-03-2018 को समाप्त वर्ष | 31-03-2019 को समाप्त वर्ष | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष | 31-03-2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना देयता पर (लाभ)/हानि | 4,439.54 | 3,642.57 | 4,078.53 | 12,528.38 | 4,162.26 |
| योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ | (135.07) | 109.65 | 1,550.28 | 3,705.91 | (436.95) |

अगले वर्ष के लिए पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लिए अनुमानित अंशदान क्रमश: ₹ 3150.25 तथा ₹ 1741.66 है।

चूंकि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की गणना डिस्काउंट दर की गई है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए। इसके अनुसार चालु वर्ष में धारणाओं को संशोधित किया गया है।

**ii. कर्मचारी भविष्य निधि**

बैंक के भविष्य निधि न्यास से हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन "निरंक" देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य निधि | |
|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| **नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन** | | |
| 1 अप्रैल 2021 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि | 35,289.14 | 31,188.49 |
| वर्तमान सेवा लागत | 1,493.06 | 3,289.62 |
| ब्याज लागत | 2,917.84 | 2,563.49 |
| कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित) | 1,958.76 | 2,562.41 |
| बीमांकिक हानि / (लाभ) | 150.44 | 63.43 |
| प्रदत्त लाभ | (5,079.24) | (4,378.30) |
| 31 मार्च 2022 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष | 36,730.00 | 35,289.14 |
| **योजना आस्तियों में परिवर्तन** | | |
| 1 अप्रैल 2021 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य | 36,365.80 | 32,104.22 |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 2,917.84 | 2,563.49 |
| अंशदान | 3,451.82 | 5,852.03 |
| अनर्जक निवेशों की परिपक्वता पर हानि के लिए प्रावधान | - | (60.59) |
| प्रदत्त हितलाभ | (5,079.24) | (4,378.30) |
| योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) | (23.37) | 284.95 |
| 31 मार्च 2022 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष | 37,632.85 | 36,365.80 |
| **दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान** | | |
| 31 मार्च 2022 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य | 36,730.00 | 35,289.14 |
| 31 मार्च 2022 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 37,632.85 | 36,365.80 |
| कमी/(अधिशेष) | (902.85) | (1,076.66) |
| तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति | 902.85 | 1,076.66 |
| **लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत** | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 1,493.06 | 3,289.62 |
| ब्याज लागत | 2,917.84 | 2,563.49 |
| योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | (2,917.84) | (2,563.49) |
| ब्याज में आई कमी को वापस किया गया | - | - |
| अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत। | 1,493.06 | 3,289.62 |
| **तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान** | | |
| 1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक निवल देयता | - | - |
| उपरोक्तानुसार व्यय | 1,493.06 | 3,289.62 |
| नियोक्ता का अंशदान | (1,493.06) | (3,289.62) |
| तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति) | - | - |

**31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:**

| आस्तियों की श्रेणी | भविष्य निधि |
|---|---|
| | योजना आस्तियों का % |
| केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ | 32.74% |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ | 29.31% |
| ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा | 30.35% |
| म्यूचुअल फंड | 5.83% |
| अन्य | 1.77% |
| **योग** | **100.00%** |

**प्रमुख बीमांकिक आकलन;**

| विवरण | भविष्य निधि | |
|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| बट्टा दर | 7.27% | 6.82% |
| सुनिश्चित प्रतिलाभ | 8.50% | 8.50% |
| पलायन दर | 2.00% | 2.00% |
| वेतन वृद्धि दर | 5.80% | 5.60% |
| मृत्यु तालिका | आईएएलएम 2012-14 (अर्बन) | आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट |

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

(क) पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या

(ख) तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

**ii. नियत अंशदान योजना**

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 1177.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 648.17 करोड़) का अंशदान किया।

**iii. दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ) :**

**क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)**

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश) | |
|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| **परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव** | | |
| 1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व | 8,182.24 | 7,533.04 |
| वर्तमान सेवा लागत | 456.87 | 311.06 |
| ब्याज लागत | 558.03 | 515.26 |
| बीमांकिक हानियां/(लाभ)–वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के कारण | 2,567.32 | 1,221.15 |
| प्रदत्त लाभ | (1,392.09) | (1,398.27) |
| 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार सुनिश्चित निवल देयता इतिशेष | 10,372.37 | 8,182.24 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश) | |
|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| **लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत** | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 456.87 | 311.06 |
| ब्याज लागत | 558.03 | 515.26 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानियां | 2,567.32 | 1,221.15 |
| अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत | 3,582.22 | 2,047.47 |
| **तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान** | | |
| 1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता | 8,182.24 | 7,533.04 |
| उपरोक्तानुसार व्यय | 3,582.22 | 2,047.47 |
| नियोजक का अंशदान | - | - |
| नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ | (1,392.09) | (1,398.27) |
| तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) | 10,372.37 | 8,182.24 |

**प्रमुख बीमांकिक अनुमान**

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| बट्टा दर | 7.27% | 6.82% |
| वेतन वृद्धि दर | 5.80% | 5.60% |
| पलायन दर | 2.00% | 2.00% |
| मृत्यु तालिका | आईएएलएम 2012-14 (अर्बन) | आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट |

**(ख) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ**

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों के लिए ₹ 115.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 32.29 करोड़) की राशि प्रदान की गई है और इसे लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान" के तहत शामिल किया गया है।

**प्रमुख बीमांकिक अनुमान**

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| बट्टा दर | 7.27% | 6.82% |
| वेतन वृद्धि दर | 5.80% | 5.60% |
| पलायन दर | 2.00% | 2.00% |
| मृत्यु तालिका | आईएएलएम 2012-14 (अर्बन) | आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट |

ग) लेखा मानक - 17 "खंडवार सूचना"

**1. खंड अभिनिर्धारण**

**I प्राथमिक (व्यवसाय खंड)**

बैंक के निम्नलिखित प्राथमिक खंड हैः-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व निकालने करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

**i. ट्रेज़री -**

ट्रेज़री खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

**ii. कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग-**

कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉरपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-ट्रेज़री परिचालन भी शामिल हैं।

**iii. खुदरा बैंकिंग-**

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, जिसमें प्राथमिक रूप से इन शाखाओं से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

**iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय -**

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

**II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)**

i) देशी परिचालन- भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन- भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

**III. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खंड मुख्य संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग तथा ट्रेजरी खंड खुदरा बैकिंग से निधि प्राप्त करते हैं। बाजार संबंधित निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एमआरएफटीपी) का पालन किया जाता है जिसके अंतर्गत निधियन केंद्र नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है। निधियन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमा अथवा उधार के रूप में सृजित की जाने वाली निधियों का कल्पित क्रय करती है तथा आस्तियाँ सृजित करने वाली व्यवसाय इकाइयों को निधियों का कल्पित विक्रय करती है।

**IV. व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन**

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंडवार सूचना

**भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)**

(₹ करोड़ में)

| व्यवसाय खंड | ट्रेजरी | कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग | खुदरा बैंकिंग | अन्य बैंकिंग परिचालन | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| रातस्व (विशेष मदों से पूर्व) # | 1,00,000.05 | 74,379.36 | 1,38,504.95 | - | 3,12,884.36 |
| | (91,916.79) | (81,782.12) | (1,31,783.02) | (-) | (3,05,481.93) |
| गैर-आबंटित रातस्व | | | | | 3,136.84 |
| | | | | | (1,625.34) |
| कुल रातस्व # | | | | | 3,16,021.20 |
| | | | | | (3,07,107.27) |
| परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)# | 13,654.90 | 26,959.15 | 12,541.38 | - | 53,155.43 |
| | (15,561.38) | (5,149.19) | (9,448.38) | (-) | (30,158.95) |
| जोड़े: विशेष मदें # | | | | | (-) 7,418.39 |
| | | | | | (1,539.73) |
| परिणाम (विशेष मदों के पश्चात )# | | | | | 45,737.04 |
| | | | | | (31,698.68) |
| गैर-आबंटित आय (+) (-) - निवल# | | | | | (-) 2,315.19 |
| | | | | | (-4,157.56) |
| कर पूर्व लाभ # | | | | | 43,421.85 |
| | | | | | (27,541.12) |
| कर # | | | | | 11,745.87 |
| | | | | | (7,130.65) |
| असाधारण लाभ # | | | | | निरंळ |
| | | | | | निरंळ |
| निवल लाभ # | | | | | 31,675.98 |
| | | | | | (20,410.47) |
| अन्य सूचना : | | | | | |
| खंड आस्तियाँ * | 16,13,186.75 | 13,02,237.02 | 20,21,244.45 | - | 49,36,668.22 |
| | (14,53,111.55) | (11,97,649.91) | (18,15,024.48) | (-) | (44,65,785.94) |
| गैर-आबंटित आस्तियाँ * | | | | | 50,929.19 |
| | | | | | (68,643.69) |
| कुल आस्तियाँ * | | | | | 49,87,597.41 |
| | | | | | (45,34,429.63) |
| खंड देयताएं * | 14,68,058.66 | 12,74,940.11 | 18,48,288.43 | - | 45,91,287.20 |
| | (13,26,432.08) | (11,68,462.70) | (16,82,902.21) | (-) | (41,77,796.99) |
| गैर-आबंटित देयताएँ* | | | | | 1,16,222.15 |
| | | | | | (1,02,757.46) |
| कुल देयताएँ * | | | | | 47,07,509.35 |
| | | | | | (42,80,554.45) |

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

| | देशीय | | विदेशी | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | Previous Year |
| राजस्व (विशेष मदों से पूर्व) # | 3,06,741.79 | 2,97,188.29 | 9,279.41 | 9,918.98 | 3,16,021.20 | 3,07,107.27 |
| निवल लाभ # | 27,905.87 | 17,236.17 | 3,770.11 | 3,174.30 | 31,675.98 | 20,410.47 |
| आस्तियाँ* | 44,56,341.96 | 40,56,851.69 | 5,31,255.45 | 4,77,577.94 | 49,87,597.41 | 45,34,429.63 |
| देयताएँ * | 41,76,253.90 | 38,02,976.51 | 5,31,255.45 | 4,77,577.94 | 47,07,509.35 | 42,80,554.44 |

# 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
* 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार

घ. **"लेखा मानक - 18 " संबंधित पक्ष प्रकटीकरण"**

**1. संबंधित पक्ष**

क) **अनुषंगियाँ**

**i. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ**

1. कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. एसबीआई कनाडा बैंक
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड
5. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
6. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
7. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
8. बैंक एसबीआई (बोत्सवाना) लिमिटेड (07.09.2021 तक )

**ii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ**

1. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
2. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
4. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
5. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
6. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
7. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
8. एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
9. एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
10. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
11. एसबीआई एसजी-ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
12. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
13. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15. एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन अधीन)
16. एसबीआई फाउंडेशन

**iii. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ**

1. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राजील
3. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
4. एसबीआईकैप (यूके) लि. (परिसमापन अधीन)

**ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ**

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज़ लि.
2. जियो पेमेंट्स बैंक लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
6. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

**ग) सहयोगी**

**i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
10. उत्कल ग्रामीण बैंक
11. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
12. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
13. राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक
14. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

**ii. अन्य**

1. द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
3. यस बैंक लिमिटेड
4. इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया)प्रा. लि. (29.06.2021 से)
5. एसबीआई होम फ़ाइनेंस लि. (परिसमापन अधीन)

**घ) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

1. श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष
2. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
3. श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स)
4. श्री स्वामीनाथन जानकीरमण, प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं सार्ग)
5. श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ)

**2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए**

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत "सरकार-नियंत्रित उद्यम" के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

**3. लेनदेन एवं शेष राशियाँ**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सहयोगी/ संयुक्त उद्यम | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी | योग | सहयोगी/ संयुक्त उद्यम | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **को बकाया** | **31 मार्च 2022** | | | **31 मार्च 2021** | | |
| उधार राशि | - | - | - | - | - | - |
| जमा राशि | 833.02 | - | 833.02 | 1,351.05 | - | 1,351.05 |
| अन्य देयताएँ | 10.23 | - | 10.23 | 7.83 | - | 7.83 |
| बैंकों में अधिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 0.12 | - | 0.12 | - | - | - |
| अग्रिम | 856.50 | - | 856.50 | 1,434.76 | - | 1,434.76 |
| निवेश | 10,614.81 | - | 10614.81 | 12,520.51 | - | 12,520.51 |
| अन्य आस्तियाँ | 224.63 | - | 224.63 | 150.79 | - | 150.79 |
| गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी) | - | - | - | 2,935.10 | - | 2,935.10 |
| **अधिकतम बकाया** | **वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान** | | | **वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान** | | |
| उधार राशि | - | - | - | - | - | - |
| जमा राशि | 1,351.05 | - | 1,351.05 | 1,541.27 | - | 1,541.27 |
| अन्य देयताएँ | 13.78 | - | 13.78 | 7.83 | - | 7.83 |
| बैंकों में अधिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 636.41 | - | 636.41 | - | - | - |
| अग्रिम | 2,218.48 | - | 2218.48 | 17,763.35 | - | 17,763.35 |
| निवेश | 12,520.51 | - | 12,520.51 | 12,520.51 | - | 12,520.51 |
| अन्य आस्तियाँ | 372.58 | - | 372.58 | 150.79 | - | 150.79 |
| गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी) | 2,935.10 | - | 2,935.10 | 2,935.10 | - | 2,935.10 |
| **वर्ष के दौरान** | **वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान** | | | **वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान** | | |
| ब्याज आय | 207.19 | - | 207.19 | 160.52 | - | 160.52 |
| ब्याज खर्च | 31.48 | - | 31.48 | 18.44 | - | 18.44 |
| डिविडेंड से अर्जित आय | 21.23 | - | 21.23 | 22.61 | - | 22.61 |
| अन्य आय | 1.50 | - | 1.50 | 1.00 | - | 1.00 |
| अन्य खर्च | 7.14 | - | 7.14 | - | - | - |
| भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) | - | - | - | - | - | - |
| प्रबंधन संविदाएँ | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.50 | 1.50 |

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार से महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ है।

### ड़) लेखा-मानक - 19 "पट्टा"

**परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:**

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में )

| विवरण | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| 1 वर्ष तक | 88.70 | 61.32 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष तक | 55.02 | 109.10 |
| 5 वर्ष के पश्चात | 5.32 | 10.57 |
| **योग** | **149.04** | **180.99** |

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹ 3,892.94 करोड़ (₹ 3,360.58 करोड़)।

### च) लेखा मानक -20 "प्रति शेयर उपार्जन"

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूलआय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| **मूल तथा कम किए गए** | | |
| वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या | 892,46,11,534 | 892,46,11,534 |
| वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या | निरंक | निरंक |
| वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या | 892,46,11,534 | 892,46,11,534 |
| प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या | 892,46,11,534 | 892,46,11,534 |
| प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या | 892,46,11,534 | 892,46,11,534 |
| निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में) | 31,675.98 | 20,410.47 |
| प्रति शेयर मूल आय (₹) | 35.49 | 22.87 |
| प्रति शेयर कम की गई आय (₹) | 35.49 | 22.87 |
| प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹) | 1.00 | 1.00 |

### छ) लेखा मानक - 22 "आय पर कर का लेखांकन"

**क. वर्तमान कर :-**

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹ 11,427.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10,760.88 करोड़) वर्तमान कर के रूप में क्रेडिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

**ख. आस्थगित कर :-**

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹ 318.57 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए हैं। (पिछले वर्ष ₹ 3,630.23 करोड़ डेबिट किया गया)

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए) ₹ 6,244.73 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 6,556.81 करोड़) रहीं, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹ 2.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.46 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹ 6247.29 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 6,559.27 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियाँ' (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)** | | |
| दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान | 6,568.86 | 7,918.85 |
| अग्रिमों के लिए प्रावधान | 4,863.64 | 3,691.83 |
| अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान | 3,650.06 | 3,115.57 |
| विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर | 982.69 | 759.10 |
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | 269.66 | 199.52 |
| विदेशी कार्यालयों से | 409.56 | 275.67 |
| **योग** | **16,744.47** | **15,960.54** |
| **आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)** | | |
| प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं | 6,546.58 | 5,744.73 |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि | 3,950.61 | 3,656.53 |
| विदेशी कार्यालयों से | 2.56 | 2.46 |
| **योग** | **10,499.75** | **9,403.72** |
| **निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)** | **6,244.72** | **6,556.82** |

वित्त वर्ष 2019-20 बैंक ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 बीएए के अंतर्गत अनुमत निचली कर दर के विकल्प को चुना है।

### ज) लेखा मानक-27 "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग "

निवेशों में ₹ 107.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹97.66 करोड़ ) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है:

| क्र. सं. | कंपनी का नाम | राशि ₹ करोड़ में | देश | धारिता % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सी-ऐज टेक्नोलॉजीज़ लि. | 4.90<br>(4.90) | भारत | 49% |
| 2 | एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि | 18.57<br>(18.57) | भारत | 45% |
| 3 | एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि. | 0.03<br>(0.03) | भारत | 45% |
| 4 | मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि. | 2.25<br>(2.25) | सिंगापुर | 45% |
| 5 | मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.# | -<br>(-) | बरमुडा | 45% |
| 6 | ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि. | 2.30<br>(2.30) | भारत | 50% |
| 7 | ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. | 0.01<br>(0.01) | भारत | 50% |
| 8 | जियो पेमेंट्स बैंक | 79.08<br>(69.60) | भारत | 30% |
| | **कुल** | **107.14**<br>**(97.66)** | | |

# मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट पीटीई लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कम्पनी ने निवेश पर 100% प्रावधान किया है।

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **देयताएँ** | | |
| पूंजी और आरक्षितियाँ | 236.69 | 227.35 |
| जमा-राशियाँ | 5.69 | 5.22 |
| उधार-राशियाँ | 7.48 | 2.92 |
| अन्य देयताएँ एवं प्रावधान | 48.20 | 55.51 |
| **योग** | **298.06** | **291.00** |
| **आस्तियाँ** | | |
| नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ | 1.82 | 2.15 |
| बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि | 143.16 | 132.12 |
| निवेश | 71.77 | 67.77 |
| अग्रिम | - | - |
| अचल आस्तियाँ | 14.97 | 18.76 |
| अन्य आस्तियाँ | 66.34 | 70.20 |
| **योग** | **298.06** | **291.00** |
| | | |
| पूँजी प्रतिबद्धताएँ | - | - |
| अन्य आकस्मिक देयताएँ | 1.91 | 2.10 |
| | | |
| **आय** | | |
| अर्जित ब्याज | 7.41 | 7.98 |
| अन्य आय | 171.75 | 164.29 |
| **योग** | **179.16** | **172.27** |
| **व्यय** | | |
| व्यय किया गया ब्याज | 0.11 | 0.04 |
| परिचालन व्यय | 148.60 | 153.99 |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ | 12.62 | 13.16 |
| योग | **161.33** | **167.19** |
| **लाभ** | **17.83** | **5.08** |

### झ) लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति"

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

## ट) लेखांकन मानक-29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ"

आकस्मिक देयताओं का विवरण

| क्रम सं. | विवरण | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| 1 | बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं। | व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है। |
| 2 | अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ | यह मद, अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए अप्रदत्त शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएँ भी शामिल हैं। |
| 3 | बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ | बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है। |
| 4 | ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व | अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा। |
| 5 | अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है। | बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। कल्पित राशियां, जो आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की जाती हैं, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं। |

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

**आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| आरंभिक अधिशेष | 3,429.98 | 628.62 |
| वर्ष के दौरान जुड़ी राशि | 438.42 | 2,981.22 |
| वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि | 7.40 | 68.45 |
| वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी | 196.82 | 111.41 |
| **इतिशेष** | **3,664.18** | **3,429.98** |

## 18.14 अतिरिक्त प्रकटन

### क. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

### ख. चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने अपनी एक विदेशी अनुषंगी, बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ इन्डोनेशिया को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है। एक विदेशी अनुषंगी, एसबीआई कनाडा बैंक के लिए वित्त मंत्री ओन्टारिओ को चुकौती आश्वासन पत्र दिया गया है। 31 मार्च 2022 के अनुसार रिपोर्ट में ₹ 1,894.81 करोड़ (25 करोड़ अमेरिकी डॉलर) (पिछले वर्ष ₹ 1827.75 करोड़ ) की समेकित राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

### ग. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों, कॉरपोरेट केंद्र तथा कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

### घ. काउंटर साइक्लिकल पूंजी बफर (सीसीपीबी)

"अस्थायी प्रावधानों काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का उपयोग' पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एसटीआर. आरईसी. 10/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई 2021 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2020 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 100% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

### ङ) दिवाला एवं दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले खातों पर प्रावधान :

दिवाला एवं दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले खातों पर प्रावधान के लिए आरबीआई के पत्रांक डीबीआर. सं. बीपी.15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर. सं. बीपी. 1906/21.04.048/ 2017-18 क्रमश: दिनांक 23 जून 2017 तथा 28 अगस्त 2017 के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2022 को कुल ₹ 4,740 करोड़ (कुल बकाया का 100%) (पिछले वर्ष ₹ 4,479 करोड़ {कुल बकाया का 100% }) का प्रावधान किया है।

**च)** 01 नवंबर, 2017 से प्रभावी 11वें द्वि-पक्षीय वेतन समझौते के तहत देय राशि ₹ 5,353.50 करोड़ को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने "अनुसूची 16: परिचालन व्यय" के तहत 'कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान' के रूप में लेखांकित किया है।

**ज)** 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, उधारकर्ताओं पर कोविड-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय तनाव और चुकौती दबावों को कम करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च, 2021 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि मार्च 1, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/ दंडात्मक ब्याज पर ब्याज की राशि प्रभारित नहीं की जाएगी और इस तरह के ब्याज को संबंधित उधारकर्ताओं को ऋण राशि की अगली किस्त में क्रेडिट/समायोजित करने के लिए वापस किया जाएगा। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 830 करोड़ ब्याज आय वापस किया है।

**झ)** दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण फैलने के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में, बैंक ने चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया तथा निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन किया। बैंक की आस्तियों पर संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए अतिसक्रिय प्रावधान किए। बैंक का प्रबंधन बैंक की तरलता अथवा लाभकारिता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की आशंका नहीं रखता। उपर्युक्त आकलन के आधार पर, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोविड-19 के लिए किए गए प्रावधान की विद्यमान राशि ₹ 6,183 करोड़ की राशि को पुनर्रचित आस्तियों के प्रति वृद्धिशील प्रावधान के लिए से आबंटित किया है।

**ट)** बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 7.10 प्रति शेयर @710% के लाभांश की घोषणा की है।

**ठ)** वर्तमान वर्ष वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। जिन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के संदर्भ में पहली बार प्रकटन किया गया है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

# भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

| विवरण | | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 21-22) ₹ | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 20-21) ₹ |
|---|---|---|---|
| **परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह** | | | |
| कर पूर्व निवल लाभ /(हानि) | | 43421,85,36 | 27541,11,61 |
| **समायोजन :** | | | |
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | | 3248,58,58 | 3317,55,25 |
| अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/ हानि (निवल) | | 16,86,60 | 28,58,17 |
| निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल) | | 263,27,88 | - |
| अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ) | | - | (1539,73,30) |
| अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों में किए गए निवेश की बिक्री पर हानि | | 12,92,61 | - |
| अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान | | 14086,84,54 | 27244,35,02 |
| मानक आस्तियों पर प्रावधान | | 4677,03,92 | 3789,78,38 |
| अनर्जक निवेश पर प्रावधान | | 3440,09,87 | 3014,49,66 |
| आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान | | 2248,14,81 | 9964,40,51 |
| अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों में किए गए निवेश से आय | | (718,37,49) | (642,86,22) |
| पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज | | 5451,98,00 | 5782,51,98 |
| | | **76149,24,68** | **78500,21,06** |
| **समायोजन :** | | | |
| जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) | | 370257,04,31 | 439656,34,53 |
| पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी) | | 5064,98,09 | 92135,53,47 |
| अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी | | (132646,14,69) | (305564,41,58) |
| अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी | | (298555,64,72) | (151452,58,06) |
| अन्य देयताओ में वृद्धि / (कमी) | | 40375,27,17 | 16516,35,43 |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | | 5583,06,80 | (77531,38,47) |
| | | **66227,81,64** | **92260,06,38** |
| कर वापसी / (प्रदत्त कर) | | (7812,36,34) | (2394,52,46) |
| **परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी** | **(क)** | **58415,45,30** | **89865,53,92** |
| **निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह** | | | |
| अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश की खरीद | | (878,47,10) | (2234,97,50) |
| अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश की बिक्री | | ★ 80,97,57 | 34,20,66 |
| अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ | | - | 1539,73,30 |
| अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (हानि) | | ★ (12,92,61) | - |
| अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेश से आय | | 718,37,49 | 642,86,23 |
| अचल आस्तियों में (वृद्धि) | | (2715,31,18) | (3440,64,73) |
| अचल आस्तियों में कमी | | 194,64,06 | 104,56,08 |
| **निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी** | **(ख)** | **(2612,71,77)** | **(3354,25,96)** |

(000 को छोड़ दिया गया है)

| विवरण | | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 21-22) ₹ | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 20-21) ₹ |
|---|---|---|---|
| **वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह** | | | |
| पूंजीगत लिखतों का निर्गम | | 13974,00,00 | 27431,00,00 |
| पूंजीगत लिखतों का मोचन | | (10293,30,00) | (16847,83,80) |
| पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़ | | (5288,37,02) | (4950,52,99) |
| प्रदत्त लाभांश | | (3569,84,46) | - |
| **वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी** | **(ग)** | **(5177,51,48)** | **5632,63,21** |
| **अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव** | **(घ)** | **888,39,12** | **(202,20,77)** |
| **नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग+घ)** | | **51513,61,17** | **91941,70,40** |
| | | | |
| **1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | **343038,70,94** | **251097,00,54** |
| **31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | **394552,32,11** | **343038,70,94** |
| **नोट:** 'बैंक एसबीआई बोत्सवाना' का बैंकिंग लाइसेंस 30.06.2021 को सरेंडर किया गया है। अ-पंजीकरण के बाद इसका संचालन बंद कर दिया गया था और 80.98 करोड़ रुपए की पूंजी 12.93 करोड़ रुपए की हानि पर प्रत्यावर्तित की गई है। | | | |
| 1. नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति: | | **31.03.2022** | **31.03.2021** |
| नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां | | 257859,20,71 | 213201,53,63 |
| बैंकों के पास जमाराशियां तथा मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि | | 136693,11,40 | 129837,17,31 |
| | | **394552,32,11** | **343038,70,94** |
| 2. परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया है। | | | |

**श्री अश्विनी कुमार तिवारी**
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)

**श्री स्वामीनाथन जे.**
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं सार्ग)

**श्री अश्वनी भाटिया**
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स)

**श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी**
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

**निदेशक:**
श्री बी वेणुगोपाल
डॉ गणेश नटराजन
श्री मृगांक एम परांजपे
श्री केतन एस विकमसी
श्री संजीव माहेश्वरी
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

**श्री दिनेश कुमार खारा**
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट क अनुसार

**कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**शैलेश शाह**
**भागीदार स.क्र.** 033632
**फर्म पं. क्र.** 105049W

**कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**अनुज ढींगरा**
**भागीदार स.क्र.** 512535
**फर्म पं. क्र.** 000235N/N500089

**कृते गुहा नंदी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**डॉ बी एस कुंडु**
**भागीदार स.क्र.** 051221
**फर्म पं. क्र.** 302039E

**कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

**अनिरुद्ध सेनगुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 051371
**फर्म पं. क्र.** 311017E

**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**हेनील के पटेल**
**भागीदार स.क्र.** 114103
**फर्म पं. क्र.** 109574W

**कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**प्रवीण कुमार**
**भागीदार स.क्र.** 088810
**फर्म पं. क्र.** 009571N/N500006

**कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एम आर जैन**
**भागीदार स.क्र.** 050919
**फर्म पं. क्र.** 303002E

**कृते सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**वी नटराजन**
**भागीदार स.क्र.** 223118
**फर्म पं. क्र.** 004283S

**कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एल श्यामा प्रसाद**
**भागीदार स.क्र.** 028224
**फर्म पं. क्र.** 004453S

**कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**प्रेम बिहारी गुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 080245
**फर्म पं. क्र.** 000425N

**कृते के सी मेहता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**चिराग बक्शी**
**भागीदार स.क्र.** 047164
**फर्म पं. क्र.** 106237W

**कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**आनंद शर्मा**
**भागीदार स. क्र.** 129033
**फर्म पं. क्र.** 110758W/W100377

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
**भारत के राष्ट्रपति,**

## बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

### अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 के तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ-साथ अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 17 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार इकाई, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कॉरपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), वाणिज्यिक ग्राहक समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (केन्द्रीय), केन्द्रीय लेखा कार्यालय और 20 शाखाओं की, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 8,557 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों ने की है;

   iii) विदेश स्थित 34 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा संबंधित स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की।

   हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में उन 15,977 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखा इकाईयों सहित) की विवरणियां तथा वे जो लेखापरीक्षा के विषय नहीं थे, भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 17.62 प्रतिशत, जमाराशियों में 33.76 प्रतिशत, ब्याज आय में 28.94 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 40.21 प्रतिशत है।

   हमारे अभिमत में तथा जहाँ तक हमें जानकारी है व हमें दी गई विवरणात्मक जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी बैंक द्वारा उसी ढंग से दी गई हैं जैसी उससे अपेक्षित है और यह भारत में सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है और:

   क) तुलन पत्र, संबंधित नोटों के साथ पठित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं। इसे उचित रूप से तैयार गया है ताकि 31 मार्च, 2022 तक बैंक की स्थिति के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके।

   ख) लाभ एवं हानि खाता, संबधित टिप्पणियों के साथ पठित, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सम्यक संतुलन दिखाता है; और

   ग) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एक सही और उचित विवरण प्रस्तुत करता है।

### अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां भाग में दी गई है। हम आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिकता के कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

3. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से समाधान कर लिया गया है और इससे संबंधित जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

| क्र. सं | महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले | हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया |
|---|---|---|
| i. | अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (संदर्भ: वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी 18.4 के साथ पठित अनुसूची 9)<br><br>अग्रिम में भुनाए व खरीदें गए बिल, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, मांग पर प्रस्तुत तथा मियादी ऋण। इन्हें आगे बैंक/ सरकारी गारंटी एवं प्रतिभूति रहित (बही ऋण के विरुद्ध ऋण सहित) प्रतिभूति और आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।<br><br>अग्रिमों में बैंक की कुल आस्तियों का हिस्सा 54.82% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, आस्तियों वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसी) तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं विदेशी कार्यालयों के मामले को छोड़कर जहाँ अग्रिमों का वर्गीकरण और उनका प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो भी अधिक कठोर हो किया जाता है। इनमें अग्रिम वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार इन मानदंडों के आधार पर करता है।<br><br>अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित तंत्र स्थापना भी शामिल है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में होनी चाहिए जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज़्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जानी चाहिए।<br><br>इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग-अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है।<br><br>लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए अग्रिमों और प्रावधानीकरण की लेखपरीक्षा काफी श्रमसाध्य कार्य है। इसके साथ साथ, केवल बैंक के वित्तीय विवरण इसके प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है।<br><br>साथ ही, हमारी लेखा परीक्षा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और ऋण के प्रावधानों के संतुलन पर केंद्रित है। | हमारी कार्यविधि अग्रिमों का सत्यापन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आईआरएसी मानदंडों और संबंधित परिपत्रों एवं निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भ में किया है जिसमें निम्नलिखित का भी सत्पापन किया गया:<br><br>क. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता;<br><br>ख. बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार मॉनीटरिंग व्यवस्था की उपलब्धता और प्रभावकारिता जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा;<br><br>ग. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों/न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच;<br><br>घ. हमने एनपीए की ट्रैकिंग, पहचान और मुद्रांकन और उसके संबंध में प्रावधान करने के लिए सीबीएस में इनबिल्ट किए गए व्यावसायिक तर्कों/मापदंडों के संबंध में बाहरी आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है।<br><br>ङ. हमने उपरोक्त आरबीआई परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीडीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयारी सॉफ्टवेयर में प्रगति की मैपिंग का परीक्षण किया ।<br><br>च. हमने बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के निगरानी तंत्र के अनुसार आयोजित विभिन्न लेखा परीक्षाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने और विभिन्न लेखा परीक्षाओं के अनुपालन के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की जांच की है।<br><br>छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी जांच की है।<br><br>ज. हमने एनपीए की पहचान और आय के प्रतिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का मूल्यांकन और आकलन किया;<br><br>झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्राचार/ संवाद भी किया। |

| क्र. सं | महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले | हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया |
|---|---|---|
| ii. | निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 अनुसूची 18 के नोट 18.3 के वित्तीय विवरण के साथ पढ़ा जाए।)<br><br>निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति प्राप्ति और अन्य अनुमोदित प्रतिभूति में किया गया निवेश शामिल है।<br><br>निवेशों का बैंक की कुल आस्तियों में 29.70% हिस्सा है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा निर्देशित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, तदनुरूपी आय की मान्यता न दिए जाने और इसके विरुद्ध प्रावधान शामिल हैं।<br><br>उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्त्रोतों जैसे कि एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों आदि से आंकड़ों/सूचनाओं का संग्रह शामिल है। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, हस्तगत निवेशों की मात्रा और विनियामक फोकस की डिग्री में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।<br><br>तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित है। | भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से:<br><br>क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के बारे में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और इसे समझ लिया।<br><br>ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया;<br><br>ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी जांच की गई। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए;<br><br>घ. एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया;<br><br>ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास के लिए भी प्रावधान राशि की अलग से फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की जांच की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की;<br><br>च. निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का कैसे अनुपालन किया गया है। |

| क्र. सं | महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले | हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया |
|---|---|---|
| iii. | प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 12 वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 18 के नोट 18.12 (ई) के साथ पठित)<br><br>प्रावधान के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने फैसले, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह द्वारा समर्थित है, जहां भी आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को काफी प्रभावित कर सकते हैं।<br><br>हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णयों / व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित थी। | हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल हैः<br>क. लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं<br>ख. मुकदमों/कर आकलनों की वर्तमान स्थिति को समझना<br>ग. विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और / या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;<br>घ. इसमें प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन करना और हमारे आंतरिक कर विशेषज्ञों की राय सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह<br>ङ. चर्चाओं के माध्यम से बैंक के विवादों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के ब्यौरे का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह; और<br>च. महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन। |

## एकल वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचना

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल है जिसे हमने इस रिपोर्ट के जारी करते समय प्राप्त किया था। अन्य सूचना में वार्षिक प्रतिवेदन में अनुलग्नकों सहित निदेशकों का प्रतिवेदन भी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन शामिल नहीं है, जिसे इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं और व्यक्त नहीं करेंगे।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना केवल बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना अभिशासन को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

## बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन से जुड़ें सदस्यों के दायित्व

5. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, लागू सीमा तक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश के उपबंध भी शामिल हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए उपर्युक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; चयन और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान आकलन जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और त्रुटियों से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटियों के कारण।

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन का दायित्व है कि वह बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक बैंक का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की मंडल प्रबंधन की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना निदेशक बोर्ड की

जिम्मेदारी भी है।

## केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि बैंक के एकल वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप से, धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, और अपने अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उसपर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी के पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता भी हो सकती है।
- परिस्थितियों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील बैंक के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु एवं बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेने वाले जानकार उपयोगकर्ता संभवतः प्रभावित हो सकते हैं। (1) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (2) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, अभिशासन से जुड़े सदस्यों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, अभिशासन से जुड़े सदस्यों को एक विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें अपने संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी दी गई है जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दी गई है।

अभिशासन के साथ जुड़े सदस्यों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

## अन्य मामले

7. हमने एकल वित्तीय विवरण में शामिल 8,591 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त बैंक के कुल आस्तियों का 21,18,949 करोड़ और कुल राजस्व का 1,17,395 करोड़ रुपए शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

## अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैरा 6 से 8 में दर्शाई गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन और जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा अपेक्षित है, और इसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन और जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं;

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

घ) लाभ और हानि खाता 31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की वास्तविक शेष राशि को दर्शाता है

9. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारे अभिमत में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते बैंक द्वारा रखी गई हैं, क्योंकि ऐसा उन खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं में हम नहीं जा सके उन शाखाओं की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त विवरणियां हमें प्राप्त हुई हैं।

ख. तुलन-पत्र लाभ और हानि खाते और इस रिपोर्ट में सम्मिलित नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं।

ग. हमारे अभिमत में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से शामिल किया गया है; तथा

घ. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं कि ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

10. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों एससीए की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों पर पत्र संख्या डीओएस. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की आवश्यकता के अनुसार, इसे आरबीआई द्वारा 19 मई 2020 करे जारी संचार के साथ पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिरूट मामलों पर निम्नानुसार रिपोर्ट करते है-

क. हमारी राय में, उपरोक्त भारतीय स्टेट बैंक के एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

ख. वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणियां नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग. 31 मार्च, 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा अभिलिखित रूप में किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में निदेशक नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट अनुबंध-क में दी गई है, इस रिपोर्ट में 31 मार्च, 2022 के रूप में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**शैलेश शाह**
**भागीदार स.क्र.** 033632
**फर्म पं. क्र.** 105049W
UDIN:22033632AIXHQQ3021

**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**हेनील के पटेल**
**भागीदार स.क्र.** 114103
**फर्म पं. क्र.** 109574W
UDIN:22114103AIXKLG7230

**कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एल श्यामा प्रसाद**
**भागीदार स.क्र.** 028224
**फर्म पं. क्र.** 004453S
UDIN:22028224AIXHMB9621

**कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**अनुज ढींगरा**
**भागीदार स.क्र.** 512535
**फर्म पं. क्र.** 000235N/N500089
UDIN:22512535AIXKXX2970

**कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**प्रवीण कुमार**
**भागीदार स.क्र.** 088810
**फर्म पं. क्र.** 009571N/N500006
UDIN:22088810AIXJER5275

**कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**प्रेम बिहारी गुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 080245
**फर्म पं. क्र.** 000425N
UDIN:22080245AIXKLC5297

**कृते गुहा नंदी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**डॉ बी एस कुंडु**
**भागीदार स.क्र.** 051221
**फर्म पं. क्र.** 302039E
UDIN:22051221AIXPYM6914

**कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एम आर जैन**
**भागीदार स.क्र.** 050919
**फर्म पं. क्र.** 303002E
UDIN:22050919AIXHIH2828

**कृते के सी मेहता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**चिराग बक्शी**
**भागीदार स.क्र.** 047164
**फर्म पं. क्र.** 106237W
UDIN:22047164AIXKOQ4739

**कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

**अनिरुद्ध सेनगुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 051371
**फर्म पं. क्र.** 311017E
UDIN:22051371AIXHWT8422

**कृते सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**वी नटराजन**
**भागीदार स.क्र.** 223118
**फर्म पं. क्र.** 004283S
UDIN:22223118AIXKPX8986

**कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**आनंद शर्मा**
**भागीदार स. क्र.** 129033
**फर्म पं. क्र.** 110758W/W100377
UDIN:22129033AIXMPT2135

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध "ए"

**(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्रसक 11(ई) में संदर्भित)**

## भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस. एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई पत्राचार") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2022 तक भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित है।

## लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानक (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होती है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हैं और बनाए रखे गए थे और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षा के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित अपनी रिपोर्टों के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सही और पर्याप्त प्रतिबिंबित करती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया जाता है, और यह कि बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं। और (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है। त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, शर्तों में परिवर्तन या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के अंश के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

## अभिमत

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी व हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक और वित्तीय

नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो "आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आंतरिक नियंत्रण के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए मानदंड" पर आधारित हैं।

## अन्य मामले

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट जहां तक यह 730 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**शैलेश शाह**
**भागीदार स.क्र.** 033632
**फर्म पं. क्र.** 105049W
UDIN:22033632AIXHQQ3021

**कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**हेनील के पटेल**
**भागीदार स.क्र.** 114103
**फर्म पं. क्र.** 109574W
UDIN:22114103AIXKLG7230

**कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एल श्यामा प्रसाद**
**भागीदार स.क्र.** 028224
**फर्म पं. क्र.** 004453S
UDIN:22028224AIXHMB9621

**कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**अनुज ढींगरा**
**भागीदार स.क्र.** 512535
**फर्म पं. क्र.** 000235N/N500089
UDIN:22512535AIXKXX2970

**कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**प्रवीण कुमार**
**भागीदार स.क्र.** 088810
**फर्म पं. क्र.** 009571N/N500006
UDIN:22088810AIXJER5275

**कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**प्रेम बिहारी गुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 080245
**फर्म पं. क्र.** 000425N
UDIN:22080245AIXKLC5297

**कृते गुहा नंदी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**डॉ बी एस कुंडु**
**भागीदार स.क्र.** 051221
**फर्म पं. क्र.** 302039E
UDIN:22051221AIXPYM6914

**कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**एम आर जैन**
**भागीदार स.क्र.** 050919
**फर्म पं. क्र.** 303002E
UDIN:22050919AIXHIH2828

**कृते के सी मेहता एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**चिराग बक्शी**
**भागीदार स.क्र.** 047164
**फर्म पं. क्र.** 106237W
UDIN:22047164AIXKOQ4739

**कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

**अनिरुद्ध सेनगुप्ता**
**भागीदार स.क्र.** 051371
**फर्म पं. क्र.** 311017E
UDIN:22051371AIXHWT8422

**कृते सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार

**वी नटराजन**
**भागीदार स.क्र.** 223118
**फर्म पं. क्र.** 004283S
UDIN:22223118AIXKPX8986

**कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**आनंद शर्मा**
**भागीदार स. क्र.** 129033
**फर्म पं. क्र.** 110758W/W100377
UDIN:22129033AIXMPT2135

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022